छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"ब्लाक–7"ए", द्वितीय तल, सेक्टर–24, ऑफिस काम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर

(बस्तर राजस्व संभाग के जिलों में गुड प्रदाय हेतु)

ऑनलाईन निविदा दस्तावेज

वर्ष **2024-25**

निविदा जारी करने की तिथि :– **24-12-2024**

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :– **23-01-2025**

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

सेक्टर 24, ऑफिस कॉम्पलेक्स, ब्लॉक नम्बर 7 ए, द्वितीय तल,
मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर
E-Mail ID - **nanheadoffice@gmail.com**

//गुड़ क्रय हेतु निविदा वर्ष 2024–25//

/विषय सूची/

क्र	विवरण	पृष्ठ क्र
01	निविदा प्रपत्र का विक्रय विवरण	3
02	उद्बोधन	4
03	निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण	5
04	निविदा की कार्यवधि, निविदा का उद्देश्य, निविदा का कार्यक्षेत्र, न्यूनतम आर्हताएं एवं अनिवार्य दस्तावेज	6-8
05	परिभाषाएं	9
06	निविदा दस्तावेज का ऑनलाईन क्रय, ऑनलाईन निविदा कैसे प्रस्तुत करें, निविदा में संशोधन, स्पष्टीकरण एवं परिमार्जन, निविदा में डिजीटल हस्ताक्षर, निविदा खोलने की प्रक्रिया, प्रथम न्यूनतम निविदाकार का निर्धारण, बस्तर राजस्व संभाग के जिले हेतु निविदा प्रस्तुती	10
07	अमानत राशि, प्रतिभूति राशि, निविदा की दर, दरों में संशोधन/मुकरना/अनुबंध ना करना, निविदाकार की संरचना	11-12
08	निविदाकार फर्म की स्थिति, संविदा के उद्देश्य, संविदा के पक्षकार, संविदा की अवधि, संविदा निष्पादित करना, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), 2011 गुड़ क्रय की मात्रा, आदेश क्रियान्वयन, वैकल्पिक व्यवस्था, पैकिंग हेतु स्पेसिफिकेशन, प्रदायकर्ता की जानकारी प्रेषण की व्यवस्था, गोदामों का निरिक्षण, भुगतान हेतु बिल की प्रस्तुती, अयोग्याताएं, गुड़ की गुणवत्ता, प्रदाय में विलंब/डिफाल्ट आदि की स्थिति में पेनाल्टी/दांडिक कटौत्रा, प्रदाय स्कंध की अमानक होने की स्थिति में, कार्पोरेशन को हानि प्रतिपूर्ति, विवादों का निराकरण	13-18
09	संविदा को शासित करने वाले कानून/विधि, सरसरी तौर पर समापन, मुजरा (सैट ऑफ), लेखा–बही निरीक्षण, भ्रष्ट आचरण/रिश्वत/ घूसखोरी/कमीशन आदि, व्यवहार एवं आचरण, कार्यादेश प्राप्ति	19
11	विविध	20
12	परिशिष्ट एक से परिशिष्ट तेरह तक	21-47

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

सेक्टर 24, ऑफिस कॉम्पलेक्स, ब्लॉक नम्बर 7 ए, द्वितीय तल,
मुख्यालय, अटल नगर, नवा रायपुर
E-Mail ID - **nanheadoffice@gmail.com**

/ /गुड़ क्रय हेतु निविदा वर्ष 2024–25/ /

छत्तीसगढ राज्य के स्थित कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों में (राज्य भंडार गृह निगम/केन्द्रीय भंडार गृह निगम के गोदाम) **बस्तर राजस्व संभाग हेतु लगभग 21000.00 मे.टन गुड़** आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ राज्य में उत्पादित गुड़ को भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम तथा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/व्यवसायी/फर्म/प्रदायकर्ता से (जो निविदा की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हो) निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज जारी किया जा रहा है।

TENDER SCHEDULE

Bid Start Date	24-12-2024	11:00 AM
Bid Due Date	23-01-2025	05:00 PM
Bid Open Date From	24-01-2025	11:00 AM
Pre Bid	03-01-2025	12:00 PM

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है ।
3. निविदा जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रक्रिया का विधिवत् अध्ययन कर लें एवं अंतिम समय का इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टिविटी आदि में तकनीकी समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई न हो। अंतिम समय में सॉफ्टवेयर/कनेक्टिविटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा जमा नहीं होने पर समयावृद्धि करने हेतु कोई दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
4. निविदा दस्तावेज की प्रति **Online** में ही प्रस्तुत की जावेगी एवं इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सीलयुक्त हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र **GeM (Government E-Marketplace) Portal** पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र **GeM (Government E-Marketplace) Portal** से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. निविदा दस्तावेजों को निविदाकार द्वारा **GeM (Government E-Marketplace) Portal** में प्रस्तुत किया जाना है।
7. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा फार्म में पृष्ठ 01 से 47 तक समाहित है। उपरोक्त समस्त निर्देश भी निविदा का भाग होगा।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पदमुद्रा

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

//उद्बोधन//

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से **बस्तर राजस्व संभाग हेतु** लगभग **21000.00 मे.टन** (परिशिष्ट–1) जिले में स्थित विभिन्न गोदामों में गुड़ प्रदाय हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम/संयुक्त उपक्रम एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों से गुड़ क्रय (एफ.ओ.आर.) वर्ष 2024–25 के लिए **GeM (Government E-Marketplace) Portal** के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें खाद्यान्न/चना/नमक/शक्कर/गुड़ आदि की खरीदी/वितरण/विक्रय सम्मिलित है।

3. इस निविदा दस्तावेज में संलग्न परिशिष्ट में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, तथा छत्तीसगढ स्थित प्रदाय केन्द्रों, जहां गुड़ का भंडारण किया जाना है, का विवरण दिया गया है। निविदाकार से अनुरोध है, कि कृपया इन दस्तावेजों को भली–भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें आनलाईन प्रस्तुत करें।

4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म ऑनलाईन निविदा, दर्शायी गई तारीख तथा निर्धारित समय तक स्वीकार किए जायेंगे।

5. इस उद्बोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस गुड़ क्रय संविदा के अभिन्न अंग हैं और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

गुड़ क्रय निविदा हेतु निम्न बिन्दु विशेष ध्यान देने योग्य हैं–

(अ) निविदा में उपयुक्त दरें प्राप्त न होने पर केवल न्यूनतम दरदाता (L-1) से निगोशियेशन किया जा सकता है । इस संबंध में अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक का मान्य होगा।

(ब) निविदाकर्ता निविदाफार्म के साथ ऑनलाईन में ही वांछित दस्तावेज यथा अमानत राशि (RTGS/ Transfer Receipt) आवश्यक दस्तावेज क्रमिक रूप से संलग्न करें। वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी ।

(स) निविदाकार को इस निविदा के साथ संलग्न निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण को पूर्ण रूपेण एवं फोटो संलग्न करते हुए भरा जाना अनिवार्य है। कृपया इसका विशेष ध्यान रखें। प्रत्येक विवरण अपेक्षित विवरण के साथ पूर्ण भरा जाना है।

उक्तानुसार आपसे अनुरोध है, कि संबंधित परिशिष्ट एवं दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन कर कार्पोरेशन के वृहद, जन उपयोगी और व्यवसायिक कार्यों में सहभागिता के दृष्टिकोण से अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रस्तुत करें।

शुभकामनाओं सहित ।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
नवा रायपुर (छ.ग.)

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

// निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न परिशिष्टों का विवरण //

01. निविदा दस्तावेज के साथ निम्नानुसार परिशिष्ट संलग्न हैं, समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जाएंगे।

परिशिष्ट क्रमांक	परिशिष्ट का विवरण
परिशिष्ट – एक	गुड़ प्रदाय हेतु **बस्तर राजस्व संभाग** अंतर्गत आने वाले जिलों व प्रदाय केन्द्रों के नाम व अनुमानित आबंटन/प्रदाय योग्य मात्रा का विवरण।
परिशिष्ट – दो	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण।
परिशिष्ट – तीन	अनुबंध पत्र का प्रारूप, जिस पर सफल निविदाकारों द्वारा राशि रू. 100/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित किया जाएगा।
परिशिष्ट – चार	फायनेंशियल बिड का प्रारूप।
परिशिष्ट – पांच (1)	गुड़ की गुणवत्ता स्पेसिफिकेशन संबंधित जानकारी।
(2)	1 किलो के प्लास्टिक पालीपैक के स्पेसिफिकेशन संबंधित जानकारी।
(3)	20 किलो के कार्टून के स्पेसिफिकेशन।
परिशिष्ट – छः	खाद्य पदार्थ/खाद्यान्न व्यवसाय (जिसमें गुड़ का व्यवसाय भी सम्मिलित हो) का विगत तीन वित्तीय वर्षो में वार्षिक टर्न ओव्हर को सी.ए. से प्रमाणित कराने हेतु निर्धारित प्रारूप।
परिशिष्ट– सात	तकनीकी बिड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग) नोटराईज्ड
परिशिष्ट– आठ	फायनेंशियल बिड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग) नोटराईज्ड
परिशिष्ट– नौ	प्रतिभूति राशि वापसी हेतु शपथ पत्र
परिशिष्ट– दस	तकनीकी बिड के लिफाफे में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/शपथ पत्र की चैक लिस्ट।
परिशिष्ट– ग्यारह	गुड़ क्रय संबंधी निविदा में सत्यनिष्ठा संधि लागू करने संबंधी घोषणा पत्र।
परिशिष्ट– बारह	गुड़ स्पेसिफिकेशन संबंधी पुस्तिका।
परिशिष्ट–तेरह	पालीपैक नमूना।

02. समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उल्लेखित समस्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत निर्दिष्ट नियमानुसार तकनीकी बिड व फाइनेन्सियल बिड ऑनलाइन **GeM (Government E-Marketplace) Portal** में प्रस्तुत करें।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

//गुड़ क्रय की निविदा संबंधी प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें//

01. निविदा कार्य अवधि –

01.1 संविदा की अवधि अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए रहेगी।

01.2. अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, यदि कार्पोरेशन चाहे, तो उसी अनुबंध की शर्तों एवं स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु उसमें 03 माह की वृद्धि की जा सकेगी, जिसे मानने के लिये प्रदायकर्ता बाध्य रहेगा।

01.3. आगामी अवधि हेतु निगम द्वारा नवीन निविदाएं आमंत्रित करने तक या खुली निविदा में यदि कार्पोरेशन को युक्तिसंगत दर प्राप्त नहीं होती है, तो अनुबंध को बढ़ी हुई अवधि के पश्चात भी आपसी सहमति से उसी अनुबंध की शर्तों एवं स्वीकृत दर पर निविदा अवधि को अधिकतम 03 माह और बढ़ाया जा सकेगा।

02. निविदा के उद्देश्य –

इस निविदा का मुख्य उद्देश्य कार्पोरेशन द्वारा गुड़ प्रदाय हेतु, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर, निर्धारित अवधि के लिए सक्षम व कुशल प्रतिष्ठित प्रदायकर्ताओं की नियुक्ति करना है। सफल निविदाकार को अनुमोदित दरों पर इस निविदा में दी गई अवधि हेतु निर्धारित शर्तों पर अनुबंध करना होगा। जिलों के परिसीमन में शासन द्वारा परिवर्तन करने पर कार्य क्षेत्र मूल जिला रहेगा तथा नये जिले बनने पर भी स्वीकृत दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

03. कार्यक्षेत्र (Scope of Work) –

निविदाकार को निर्धारित स्पेसिफिकेशन का गुड़ कार्पोरेशन के परिशिष्ट क्र 1 में दर्शाये अनुसार **बस्तर संभाग** के अंतर्गत आने वाले जिलों से संबद्ध प्रदाय केन्द्रों में मुख्यालय/जिला प्रबंधक द्वारा निर्धारित किये गये गोदामों में पहुंचाकर देना होगा, इसमें सभी कार्य सम्मिलित हैं, जैसे गुड़ का उत्पादन, टेस्टिंग, पैकिंग, रेल/रोड मार्ग से परिवहन व गोदाम में परिदान, छल्ली लगाना, हम्माली भुगतान आदि।

04. न्यूनतम अर्हताएं एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण –

क्र.	न्यूनतम अर्हताएं	क्र.	न्यूनतम अर्हताओं की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज
4.1	**टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न उल्लेखित अर्हताएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी।**	4.1	1. छत्तीसगढ राज्य में उत्पादित गुड़ ही प्रदाय किया जाना अनिवार्य है। 2. प्रदायकर्ता के पास गुड़ मेनुफेक्चरिंग यूनिट/गुड़ मेनुफेक्चरिंग यूनिट से वैध लीज एग्रीमेंट होना अनिवार्य है अथवा प्रदायकर्ता द्वारा यदि छत्तीसगढ़ स्थित गुड़ मेनुफेक्चरिंग यूनिट को लीज में लिया गया तो लीज एग्रीमेंट कानूनी रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है अथवा प्रदायकर्ता का छत्तीसगढ़ स्थित गुड़ फैक्ट्री के साथ तृतीय पक्ष अनुबंध (जीवित) होना अनिवार्य है। 3. गुड़ उत्पादनकर्ता/ट्रेडर्स को गुड़ उत्पादन/भंडारण के लिए संबंधित विभाग से वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। 4. अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में सभी अनिवार्य दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ को नोटरी से प्रमाणित कर, स्केन कर, ऑनलाइन तकनीकी बिड में अपलोड कर प्रस्तुत करना होंगे अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

4.2	गुड़ प्रदाय के लिए फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जारी जीवित लायसेन्स (फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट 2011 के अधीन) धारक हो।	4.2	गुड़ प्रदाय के लिए फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जारी जीवित लायसेन्स (फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट 2011 के अधीन) की प्रति प्रस्तुत करना होगा।
4.3	बस्तर संभाग के लिए निविदा प्रस्तुति हेतु खाद्य पदार्थ/खाद्यान्न व्यवसाय का विगत तीन वित्तीय वर्षो में कोई भी एक वर्ष के लिए टर्न–ओवर न्यूनतम रू. 35.00 करोड़ (रू. पैतीस करोड़ मात्र) होना चाहिए।	4.3	विगत तीन वित्तीय वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24) में खाद्य पदार्थ /खाद्यान्न व्यवसाय का कोई भी एक वर्ष के लिए टर्न–ओवर न्यूनतम रू. **35.00 करोड़ (रू. पैतीस करोड़ मात्र)** को संलग्न परिशिष्ट–6 अनुसार निर्धारित प्रारूप में सी.ए. से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।
4.4	इन्कमटेक्स पेयी होना चाहिए।	4.4	इन्कमटेक्स विभाग द्वारा जारी **PAN NUMBER** की छायाप्रति।
4.5	आयकर विवरणी प्रस्तुत की गई हो।	4.5	वर्ष 2021–22 अथवा 2022–23 अथवा 2023–24 में से अंतिमतः दाखिल एक वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी प्रस्तुत करना होगा।
4.6	राशि रू 01 करोड़ 16 लाख (रू. एक करोड़ सोलह लाख मात्र) अमानत राशि **R.T.G.S. Transfer** के माध्यम से निविदाकार के स्वयं/फर्म /कंपनी के बैंक खाते से **C.G. State Civil Supplies Corporation Ltd** के [खाता क्र. – **10822706427 IFSC code -SBIN0008536, Commercial Branch, Pachpedi Naka , Raipur.** भारतीय स्टेट बैंक में ऑनलाईन जमा कराने के प्रमाण के रूप में ई–रिसीप्ट स्केन कर अपलोड करना होगा।	4.6	राशि रू 01 करोड़ 16 लाख (रू. एक करोड सोलह लाख मात्र) अमानत राशि R.T.G.S.Transfer के माध्यम से निविदाकार के स्वयं/फर्म /कंपनी के बैंक खाते से C.G. State Civil Supplies Corporation Ltd के [खाता क्र.–10822706427 IFSC code - SBIN0008536, Commercial Branch, Pachpedi Naka , Raipur, भारतीय स्टेट बैंक में ऑनलाईन जमा कराने के प्रमाण के रूप में ई–रिसीप्ट स्केन कर अपलोड करना होगा।
4.7	निविदाकार/फर्म/ कंपनी की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा यदि निविदा भरी जाती है, तो मूल पावर ऑफ एटार्नी अथवा अधिकार पत्र धारक हो।	4.7	निविदाकार/फर्म/ कंपनी की ओर से अधिकृत व्यक्ति के लिए राशि रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल पावर ऑफ एटार्नी अथवा राशि रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4.8	फर्म की स्थिति में फर्म का पंजीयन, पार्टनरशिप की स्थिति में पार्टनरशिप डीड पंजीकृत हो, कम्पनी के स्थिति में पंजीकृत कम्पनी हो, समिति की स्थिति में समिति पंजीकृत हो, तो निर्धारित प्रमाण पत्र।	4.8	निविदाकार को फर्म की स्थिति में फर्म का पंजीयन, पार्टनरशिप की स्थिति में "पार्टनरशिपडीड", "कंपनी के स्थिति में कंपनी पंजीयन की नोटराईज्ड प्रमाणित प्रति", समिति की स्थिति में Bye Laws एवं पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4.9	तकनीकी बिड संबंधित घोषणा पत्र परिशिष्ट–7 में नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना।	4.9	तकनीकी बिड संबंधित घोषणा पत्र परिशिष्ट–7 अनुसार राशि रूपए 100/– (रू. एक सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा।
4.10	फायनेंसियल बिड संबंधित घोषणा पत्र परिशिष्ट–8 में नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना।	4.10	फायनेंसियल बिड संबंधित घोषणा पत्र परिशिष्ट–8 अनुसार राशि रूपए 100/– (रू. एक सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराकर प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

4.11	निविदा दस्तावेज की प्रति जिसमें समस्त पृष्ठों पर निविदाकार के स्वप्रमाणित हस्ताक्षर एवं सील सहित प्रस्तुत करना।	4.11	निविदा दस्तावेज की प्रति जिसमें समस्त पृष्ठों पर निविदाकार के स्वप्रमाणित हस्ताक्षर एवं सील सहित।
4.12	निविदाकार को **GST Act 2016** के अंतर्गत **GST Registration Certificate** की प्रति प्रस्तुत करना।	4.12	निविदा दस्तावेजों के साथ निविदाकार को **GST Act 2016** के अंतर्गत **GST Registration Certificate** प्रस्तुत करना है। (यदि लागू हो तो।)
4.13	गुड़ प्रदाय के विगत 05 वर्षों में से किसी 01 वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 3000.00 मे.टन प्रदाय का शासन/शासकीय संस्था/ शासकीय उपकम को कार्यानुभव । गुड प्रदाय हेतु कार्यानुभव से संबंधित शासन / शासकीय संस्था / शासकीय उपकम द्वारा जारी कार्य / अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति स्वप्रमाणित करते हुए स्केन कर ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत करना है।	4.13	गुड प्रदाय के विगत 05 वर्षों में से किसी 01 वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 3000.00 मे.टन प्रदाय का शासन/शासकीय संस्था/ शासकीय उपकम को कार्यानुभव । गुड प्रदाय हेतु कार्यानुभव से संबंधित शासन / शासकीय संस्था / शासकीय उपकम द्वारा जारी कार्य / अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति स्वप्रमाणित करते हुए स्केन कर ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत करना है।
4.14	गुड़ मैनुफैक्चिरिंग यूनिट/फैक्टरी के पास निम्नानुसार दस्तावेज की अनिवार्यता होना चाहिये यदि आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जाना है :–	4.14	(1) उद्यम आंकाक्षा (डी.आई.सी.) (2) फैक्टरी लायसेन्स (3) पर्यावरण संबंधी एन.ओ.सी. (If applicable) (4) संबंधित **FSSAI** का प्रमाण पत्र/ लांयसेंस (5) **GST** पंजीकृत प्रमाण पत्र (If applicable)

टीप :–

प्री–बिड बैठक – गुड़ निविदा के संबंध में निविदाकारों के समक्ष निगम मुख्यालय ब्लाक – 7 "ए", द्वितीय तल, सेक्टर–24, ऑफिस काम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर में दिनांक **03.01.2025 को दोपहर 12.00** बजे आयोजित किया जावेगा। जिसमें निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार स्वयं के खर्चे पर उपस्थित हो सकते है।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

5. परिभाषाएं :–

5.1 **गुड़** – इसका तात्पर्य है कि निर्धारित स्पेसिफिकेशन **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होना अनिवार्य है। इस दस्तावेज में प्रदाय किए जाने वाले गुड़ का विवरण परिशिष्ट–5 एवं 13 पर उल्लेखित है।

5.2 **निविदा दस्तावेज** – से अभिप्रेत है गुड़ क्रय के संदर्भ में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर **GeM (Government E-Marketplace) Portal** से क्रय कर ऑनलाइन प्रस्तुति के लिए उपलब्ध सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज से है जिसमें सभी परिशिष्ट भी सम्मिलित हैं।

5.3 **संविदा** – से अभिप्रेत है अनुबंध और उसमें सम्मिलित है निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश, संविदा, उसके परिशिष्ट, निविदा की स्वीकृति तथा ऐसी सामान्य और विशेष शर्तें भी समाविष्ट है जो उसमें, जोड़ी जाए। **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 गुड़ क्रय हेतु कार्पोरेशन एवं प्रदायकर्ता के बीच संविदा करार।

5.4 **प्रबंध संचालक** – इसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर जिनके प्रशासकीय नियंत्रण में है व छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के समस्त व्यवसायिक व प्रशासकीय कार्य जिनके अधीन संपादित होना है। इसमें प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

5.5 **कार्पोरेशन या निगम** – छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, जहां कहीं आया है, से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड है।

5.6 **प्रदाय केन्द्र** – से अभिप्रेत है, कार्पोरेशन के स्वामित्व अथवा आधिपत्य का गोदाम अथवा अन्य स्थल जिसमें भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो/उपार्जन केन्द्रों/राईस मिलों/गुड़ फैक्ट्रियों अथवा अन्य किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय एजेन्सी से शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा अन्य समस्त योजनाओं अथवा कार्पोरेशन के स्वयं के व्यवसाय के संचालन हेतु खाद्यान्न/शक्कर/ नमक /दलहन/तिलहन/धान/खाद्य तेल/गुड़ व अन्य जिन्स व अन्य सामग्री का भण्डारण एवं प्रदाय किया जाता हो।

5.7 **गोदाम** – से अभिप्रेत है, कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से संबंधित गोदाम या उसके कब्जे में होने वाला कोई भी गोदाम।

5.8 **जिला प्रबंधक** – से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड में जिला स्तर पर कार्य करने वाला जिला प्रबंधक/प्रभारी जिला प्रबंधक जिसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में वे बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र आते हैं, जिनमें **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 गुड़ प्रदाय करने हेतु प्रदायकर्ता नियुक्त किया गया है।

5.9 **अनुमोदित दर** – से अभिप्रेत है वह दर या दरें, जिसे सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

5.10 **प्रदायकर्ता** – से अभिप्रेत है इस निविदा के अन्तर्गत अनुबंधित निविदाकार **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 गुड़ प्रदाय हेतु कार्पोरेशन से अनुबंध किया है।

5.11 **वर्ष या वित्तीय वर्ष** – इस निविदा के अंतर्गत उल्लेखित शब्द वर्ष या वित्तीय वर्ष से अभिप्रेत है **निविदा स्वीकृत एवं अनुबंध दिनांक से एक वर्ष** तक के लिए **या अनुबंध में उल्लेखित अवधि।**

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

6 निविदा दस्तावेज का ऑनलाईन क्रय –

निविदा प्रपत्र **GeM (Government E-Marketplace) Portal** पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र **GeM (Government E-Marketplace) Portal** से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा।

7. ऑनलाइन निविदा कैसे प्रस्तुत करें –

7.1 कार्पोरेशन द्वारा **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 गुड़ के प्रदाय के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई है।

7.2 ऑनलाइन निविदा दो बिड सिस्टम 1. तकनीकी बिड, 2. फाइनेनशियल बिड के आधार पर वेबसाइट **GeM (Government E-Marketplace) Portal** पर ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।

7.3 निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रकिया ऑनलाइन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु **GeM (Government E-Marketplace) Portal** में दिये गये हेल्प डेस्क पर सम्पर्क किया जा सकता है।

8. निविदा में संशोधन, स्पष्टीकरण व परिमार्जन –

8.1 कार्पोरेशन, निविदा की शर्तो में निविदा जमा करने हेतु नियत तिथि से 07 दिवस पूर्व तक संशोधन, स्पष्टीकरण व परिमार्जन आदि कर सकता है। ऐसे सभी संशोधन, स्पष्टीकरण व परिमार्जन निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

8.2 सभी संशोधन, स्पष्टीकरण व परिमार्जन आदि वेबसाइट **GeM (Government E-Marketplace) Portal** पर ही प्रदर्शित किये जावेंगे।

8.3 सभी निविदाकर्ताओं से अपेक्षा है, कि वे समय–समय पर वेबसाईट **GeM (Government E-Marketplace) Portal** पर कार्पोरेशन द्वारा किये गये संशोधन, स्पष्टीकरण व परिमार्जन आदि को भी देखते रहें। निविदाकार को उक्तानुसार संशोधनों आदि के कारण किसी भी प्रकार की त्रुटि, भ्रान्ति/शंका व वेबसाईट अपडेट रूप से न देखने के कारण असफलता/हानि या किसी प्रकार की क्षति होती है, तो कार्पोरेशन उत्तरदायी नहीं होगा ।

9. निविदा में हस्ताक्षर –

ऑनलाइन निविदा निविदाकार या उसके सक्षम प्राधिकारी से प्रस्तुत होना चाहिए। निविदा में निविदाकार द्वारा उसका पूरा नाम, पूरा पता एवं हैसियत (जैसे– स्वामी/ भागीदार/ कंपनी सचिव/ प्रबंध संचालक/ मुख्तयार या संचालक अनिवार्यतः स्पष्ट करेंगे। निविदाकार की ओर से यदि अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत होती है तो इस संबंध में स्वप्रमाणित मूल पॉवर आफ एटार्नी दस्तावेज/अधिकार पत्र स्केन कर अपलोड कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त पावर ऑफ एटार्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। उक्त अधिकारिता प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

10. निविदा खोलने की प्रकिया –

निर्धारित स्थान पर निर्धारित दिनांक व समय पर ऑनलाइन टेक्नीकल बिड खोली जावेगी व उनका परीक्षण किया जावेगा। तकनीकी बिड में सफल निविदाकारों की घोषणा के पश्चात् सफल निविदाकारों की ऑनलाइन फाईनेन्सियल बिड निर्धारित दिनांक को खोली जायेगी। निविदा खोलते समय स्वयं निविदाकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थिति हो सकते हैं।

11. प्रथम न्यूनतम निविदाकार का निर्धारण –

प्रथम न्यूनतम निविदाकार वह होगा जिसकी दरें न्यूनतम होगी। निगम को दर अधिक प्रतीत होने पर एल–1 निविदाकर्ता से निगोशियेशन किया जा सकेगा।

12. बस्तर राजस्व संभाग के जिले हेतु निविदा प्रस्तुती –

निविदाकार बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त राजस्व जिलों के लिए निविदा दर प्रस्तुत कर सकते है।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

13. अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी)–

13.1 निविदाकार को इस निविदा के साथ तकनीकी बिड में, **बस्तर संभाग** के लिए **राशि रू 01 करोड़ 16 लाख (रू. एक करोड़ सोलह लाख मात्र)** अमानत राशि R.T.G.S./Transfer के माध्यम से निविदाकार के स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से **C.G. State Civil Supplies Corporation Ltd** के खाता क्रमांक–**10822706427 IFSC code-SBIN0008536, Commercial Branch, Pachpedi Naka, Raipur, भारतीय स्टेट बैंक** में जमा करना अनिवार्य होगा।

अमानत राशि प्रस्तुत करते समय, बैंकों द्वारा कमीशन एवं ट्रान्जेक्शन चार्जेस आदि के नाम पर वसूली जाने वाली राशि को जोड़ते हुए, निविदाकार अमानत राशि के रूप में ऑनलाइन इतनी राशि जमा करे कि स्थानांतरित राशि, वांछित अमानत राशि से कम न हो अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।

13.2 **एल–1 की राशि रोककर शेष निविदाकारों की अमानत राशि निर्णय उपरांत 15 दिवस में नियमानुसार संबंधित निविदाकारों को वापस की जावेगी।**

13.3 निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात मुकरने एवं उसे वापस लेने अथवा स्वीकृति के बाद दिये गये अवधि में अनुबंध न करने के फलस्वरूप प्रस्तुत अमानत/जमानत राशि जब्त की जा सकेगी, या निविदाकर्ता को आगामी 03 वर्ष के लिए ब्लेक लिस्ट/प्रतिबंधित/ अयोग्य किया जा सकेगा अथवा दोनों कार्यवाही एकसाथ की जा सकेगी।

14. प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी मनी)–

14.1 सफल निविदाकार को क्रय आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का **3 प्रतिशत – राशि रू 3,50,00,000.00 (रू. तीन करोड़ पचास लाख रू)** सुरक्षा निधि जमा कराया जाएगा। निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदाकार को निविदा स्वीकृत दिनांक से 7 दिवस के अंदर कार्पोरेशन के साथ अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य है। निविदाकार द्वारा निविदा के समय जमा की गई ईएमडी **राशि रू 01 करोड़ 16 लाख (रू. एक करोड़ सोलह लाख मात्र)** को प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी राशि) के रूप में समायोजन करते हुए अनुबंध निष्पादन करना अनिवार्य है। सफल निविदाकार को क्रय आदेश जारी करने के पूर्व वास्तविक वार्षिक क्रय मूल्य का **3 प्रतिशत –राशि रू 3,50,00,000.00 (रू. तीन करोड़ पचास लाख रू)** सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्य होगा।

अनुबंध निष्पादन उपरांत निविदाकार यदि चाहे तो अनुबंध के साथ जमा की गई ई.एम.डी./प्रतिभूति (सिक्योरिटी) कुल राशि को किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक द्वारा 18 माह के लिए वैध एवं स्थान छत्तीसगढ़–रायपुर पर भुगतान योग्य एफडीआर/बैंक गारंटी (Operable at Raipur), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में करने के उपरांत ई.एम.डी./प्रतिभूति (सिक्योरिटी) राशि वापस प्राप्त कर सकेगा। जमा अमानत एवं जमानत राशि पर निगम की ओर से कोई ब्याज देय नहीं होगा।

14.2. संविदा के समाप्त होने की स्थिति में भी कार्पोरेशन देयताऐं, हानि एवं क्षति की राशि, निविदाकार द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की राशि से वसूल कर सकेगा।

15. निविदा की दर–

15.1 निर्धारित स्पेसिफिकेशन **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 गुड़ क्रय हेतु निगम के कार्य क्षेत्र **परिशिष्ट–1** में दर्शाये अनुसार दरें आमंत्रित की गयी हैं ।

15.2 इस निविदा दस्तावेज में **बस्तर संभाग** के अंतर्गत **7 राजस्व जिलों** के प्रदाय केन्द्रो/गोदामों का विवरण संलग्न परिशिष्ट क्र–1 में दर्शाये विवरण अनुसार निर्धारित है। इस परिशिष्ट में प्रत्येक 7 राजस्व जिले और उससे संबंद्ध प्रदाय केन्द्रों के साथ प्रति माह प्रदाय की जाने वाली गुड़ की मात्रा का संभावित विवरण भी अंकित किया गया है। आवश्यकतानुसार प्रदाय केन्द्रों की संख्या एवं मात्रा घट/बढ़ सकती है जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होगा। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा आवश्यकतानुसार दो माह की गुड़ का प्रदाय आदेश भी एक साथ दिया जा सकता है जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होगा।

15.3 निविदाकार को **बस्तर संभाग** के अंतर्गत आने वाले समस्त राजस्व जिले में निगम द्वारा संचालित समस्त केन्द्रों व गोदामों पर परिशिष्ट–एक के अनुसार **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 गुड़ पहुंचाकर दी गई दरें परिशिष्ट–4 में ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

15.4 निविदा में प्रस्तुत दरें समस्त लदाई, उतराई, छल्ली लगाने एवं अन्य कोई व्यय (यदि हो तो) सहित होगी। निविदा दर INR में प्रस्तुत की जाएगी।

15.5 निविदाकार को स्वीकृत दरो के अतिरिक्त कार्पोरेशन द्वारा अन्य किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। तथा शासन के नियमानुसार GST/ समस्त कर आदि की राशि का कटौत्रा कर भुगतान किया जाएगा। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पेनाल्टी/राजसात की कटौती राशि पर नियमानुसार जीएसटी की राशि वसूली योग्य होगी।

15.6 निविदा में उल्लेखित दरें **भारतीय खाद्य सुरक्षा और** मानक प्राधिकरण **(FSSAI)**, 2011 गुड़ के वजन के लिए मानी जाएंगी व इसमें न तो बोरे आदि पैकिंग सामग्री का वजन जोड़ा जायेगा और न ही उसके भार के लिये अलग से व्यय देय होगा। भुगतान प्राप्त स्कंन्ध के शुद्ध वजन के आधार पर होगा। निविदाकार को **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 गुड 01 किलोग्राम के पालीपैक में प्रदाय गुड को 20–20 किलो के नया सिंगल वॉल पेपरबोर्ड के डिब्बों में भरकर प्रदाय किया जाना है।

15.7 गुड़ प्रदाय अनुबंध की अवधि में प्रदाय से संबंधित किसी भी संघटक जैसे कच्चा माल, बिजली, परिवहन भाड़ा, श्रमिक, कर आदि की दरों में परिवर्तन के कारण स्वीकृत दर से अतिरिक्त राशि भुगतान नहीं की जावेगी ।

15.8 संविदा अवधि में किसी भी कारण जैसे भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा का उतार–चढ़ाव, शासन की नीतियों में परिवर्तन, किसी तरह का कर (Tax) लागू किये जाने पर अथवा करों में परिवर्तन पर संविदा की दर पर कोई प्रभाव नहीं होगा तथा सफल निविदाकार को स्वीकृत दर/आबंटित मात्रा के अनुसार गुड़ प्रदाय करना होगा, इसके लिए निविदाकार द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग नहीं कर सकेगा।

16. दरों में संशोधन/मुकरना/अनुबंध न करना –

यदि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व दर में संशोधन किया जाता है या निविदाकार अपनी दर से मुकरता है या निर्धारित अवधि तक अनुबंध नहीं करता है, तो उस पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:–

16.1 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में जब्त किया जाएगा, या निविदाकर्ता को आगामी 03 वर्ष के लिए ब्लेक लिस्ट/प्रतिबंधित/ अयोग्य किया जाएगा अथवा दोनों कार्यवाही एक साथ की जाएगी।

16.2 सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि में करार निष्पादन नहीं करने की स्थिति में निविदा में भाग लिये क्रमशः एल–2, एल–3 एवं अन्य निविदाकारों से न्यूनता के क्रम में गुड़ आपूर्ति की जावेगी। गुड़ आपूर्ति किये जाने की स्थिति में कार्पोरेशन को होने वाली रिस्क एण्ड कास्ट एवं अनुसांगिक व्यय की वसूली एल–1 निविदाकार से भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों/अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत की जावेगी।

17. निविदाकार की संरचना –

निविदाएं मात्र ऐसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों/व्यवसायी/फर्म/प्रदायकर्ता/से आमंत्रित की गयी है, जो यह घोषित करेंगे कि वह पूर्ण स्वामित्व प्राप्त संस्था है या पंजीकृत भागीदारी फर्म या निजी मर्यादित कंपनी या भारत में निर्गमित सार्वजनिक मर्यादित कंपनी है । निविदा में भागीदारी फर्म की संरचना, कंपनी के संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। निविदाकार संविदा करने के लिये ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे, जिनके हाथों में संविदा के दौरान संविदा से संबंधित कार्य का नियंत्रण एवं सक्रिय प्रबंधन रहेगा। इन व्यक्तियों के नाम अधिकार पत्र, नाम, पता, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र वांछित मात्रा में निविदाकारों द्वारा कार्पोरेशन को संविदा के समय प्रस्तुत किये जावेंगे। ऐसे मनोनीत किये गये व्यक्तियों को यह समझा जावेगा कि उसे संविदा के संबंध में निविदाकार से विधिवत मुख्त्यारनामा प्राप्त है और उसके समस्त कार्य निविदाकार के लिये बाध्य होंगे।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

(बस्तर राजस्व संभाग)

18. निविदाकार फर्म की स्थिति –

18.1 निविदाकार संविदा की अवधि के दौरान कारपोरेशन की पूर्व अनुमति के बिना फर्म की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। निविदाकार अपने किसी साझेदार/संचालक की मृत्यु या त्यागपत्र की दशा में कार्पोरेशन को तत्काल सूचित करेगा यदि फर्म की संरचना में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत परिवर्तन फर्म की शर्तो के अनुसार अनिवार्य हो जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं सोसायटीज, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तत्काल ऐसे परिवर्तन के 07 दिन के भीतर कार्पोरेशन को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा ।

18.2 जहां निविदाकार भागीदार फर्म है कार्पोरेशन की पूर्व लिखित सहमति के बिना फर्म में नये भागीदार को शामिल नहीं किया जावेगा। नये भागीदार को शामिल होने की अनुमति उसके द्वारा यह लिखित वचन निष्पादित करने पर प्रदान की जावेगी कि यह संविदा को पूरा करेगा और ऐसा वचन देने के पूर्व संविदा के अधीन फर्म द्वारा किये गये समस्त दायित्व को वह स्वीकारता है।

18.3 संविदा के पूर्ण होने के पूर्व निविदाकार/फर्म के किसी भी भागीदार की मृत्यु/सेवानिवृत्त होने पर कार्पोरेशन अपनी इच्छा से संविदा को निरस्त कर सकता है तथा ऐसी दशा में फर्म को कार्पोरेशन के विरूद्ध किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं होगा। फर्म से किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी यदि संविदा समाप्त नहीं की जाती है तो उस भागीदार का संविदा के अंतर्गत फर्म के कार्यों के लिये उत्तारदायी होना तब तक जारी रहेगा, जब तक कि उसके द्वारा कार्पोरेशन को पंजीकृत डाक से भागीदार अधिनियम की धारा–32 के अतंर्गत सार्वजनिक सूचना की प्रति नहीं भेजी जाती।

19. संविदा के उददेश्य –

संविदा के अधीन अनुबंधित निविदाकार (प्रदायकर्ता) **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 गुड निर्दिष्ट स्थानों व समय पर प्रदाय करेंगे।

20. संविदा के पक्षकार –

संविदा के पक्षकार प्रथम न्यूनतम निविदाकार एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन है। संविदा पर स्वयं निविदाकार जिसने निविदा भरी हो या निविदाकार द्वारा जिसे कंडिका 17 के अनुक्रम में विधिक रूप से मुख्त्यारनामा देकर अधिकृत किया हो हस्ताक्षर करेगा। निविदाकार को मुख्त्यारनामों की मूल प्रति अनुबंध के समय कार्पोरेशन में जमा करना अनिवार्य है।

21. संविदा की अवधि –

21.1 संविदा की अवधि अनुबंध दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए रहेगी।

21.2. अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, यदि कार्पोरेशन चाहे, तो उसी अनुबंध की शर्तो एवं स्वीकृत दर पर कार्य कराने हेतु उसमें 03 माह की वृद्धि की जा सकेगी, जिसे मानने के लिये प्रदायकर्ता बाध्य रहेगा।

21.3. आगामी अवधि हेतु निगम द्वारा नवीन निविदाएं आमंत्रित करने तक या खुली निविदा में यदि कार्पोरेशन को युक्तिसंगत दर प्राप्त नहीं होती है, तो अनुबंध को बढ़ी हुई अवधि के पश्चात भी आपसी सहमति से उसी अनुबंध की शर्तों एवं स्वीकृत दर पर निविदा अवधि को अधिकतम 03 माह और बढ़ाया जा सकेगा।

21.4 क्रय की अन्य शर्तें छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार है।

22. संविदा निष्पादित करना –

22.1. प्रथम न्यूनतम निविदाकर को निर्देशानुसार (तीन से सात दिवस में) निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा कर निर्धारित प्रारूप अनुसार रूपये 100/– (Non Judicial stamp) के मुद्रांक पत्र पर वांछित अनिवार्य अभिलेखों के साथ कारपोरेशन के कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा। साथ ही सत्य निष्ठा संधि लागू/स्वीकार करने का घोषणा पत्र देना होगा।

22.2. तकनीकी बिड में प्रस्तुत समस्त दस्तावेज जो ऑनलाइन स्कैन कर प्रस्तुत किये गये थे उन समस्त दस्तावेजों के मूल दस्तावेज अनुबंध के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा यह मानते हुए कि निविदाकार द्वारा निविदा शर्तो का पालन नहीं किया है उसके अनुबंध का अवसर समाप्त कर उनकी निविदा निरस्त की जाऐंगी व कंडिका 16 अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

22.3 तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत समस्त स्व–प्रमाणित दस्तावेजों की मूल प्रतियां, मुख्यालय में सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणन पश्चात् वापिस की जायेंगी। निविदाकार द्वारा निविदा में प्रस्तुत नोटरी से प्रमाणित छायाप्रतियां अनुबंध के रूप में रिकार्ड में रखेंगे ।

22.4. सफल निविदाकार द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में अनुबंध न करने पर, अनुबंध का अवसर समाप्त माना जायेगा व कंडिका 16 अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त स्थिति में कार्पोरेशन अन्य निविदाकार से न्यूनता के क्रम अनुसार, कार्पोरेशन की शर्तों पर अनुबंध हेतु पहल कर सकेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

(बस्तर राजस्व संभाग)

23 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) 2011 गुड़ क्रय की मात्रा –

23.1 **बस्तर संभाग** के लिए गुड़ की संभावित आवश्यकता लगभग **21000.00 मे.टन** होगी। **बस्तर संभाग** के लिए प्रदाय केन्द्रवार सम्भावित आवश्यकता परिशिष्ट–1 में दी गई है। इस प्रकार निविदा अवधि दिनांक से एक वर्ष के लिए या अनुबंध दिनांक तक संभावित आवश्यकता लगभग **21000.00** मे.टन होगी। प्रति माह आवश्यकतानुसार लगभग 1400.00 मे.टन से 2800.00 मे.टन तक क्रय आदेश दिया जा सकता है जिसे नियत समयावधि में प्रदाय करने की बाध्यता संबंधित अनुबंधकर्ता की होगी।

23.2 आबंटन में कमी/वृद्धि आदि के कारण उपरोक्त अनुमानित मासिक व निविदा अवधि की आवश्यकता की मात्रा से वास्तविक प्रदाय मात्रा में लगभग 25 प्रतिशत तक की कमी/वृद्धि भी की जा सकती है।

23.3 संविदा की अवधि के दौरान किसी निश्चित मात्रा में प्रदाय आदेश देने की गारण्टी नहीं दी जा सकती है । यदि क्रय आदेश अथवा क्रय योग्य मात्रा कम या अधिक रहती है तो प्रदायकर्ता का कोई भी दावा व आपत्ति मान्य योग्य नहीं होगी ।

23.4 गुड़ का क्रय, शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जाएगा । राज्य शासन गुड़ योजना के संबंध में कोई नीति में बदलाव अथवा आदेश जारी करने पर निविदा स्वीकृति **अथवा अनुबंध निष्पादन** के बाद भी क्रय रोका जा सकता है। इससे अगर गुड़ प्रतिष्ठान को किसी प्रकार की हानि होती है, तो इसकी जवाबदारी कार्पोरेशन की नहीं होगी।

24. आदेश क्रियान्वयन –

निगम द्वारा प्रदाय आदेश दिये जाने पर अनुबंधित प्रदायकर्ता द्वारा आदेश प्राप्त होने पर **अधिकतम 30 दिन तक की समयावधि** में **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI),** 2011 **गुड़** प्रदाय किया जाना होगा। आगामी कार्य आदेशों की समयावधि गुड़ की मांग के अनुरूप कार्पोरेशन द्वारा तय की जावेगी, इसमें प्रदायकर्ता की कोई आपत्ति मान्य नही की जावेगी ।

25. प्रदाय की व्यवस्था –

25.1 प्रदाय की व्यवस्था – गुड़ प्रदाय हेतु अनुबंधित प्रदायकर्ता द्वारा उसके संबध्द किसी प्रदाय केन्द्र पर प्रदाय आदेश अनुसार गुड की पूर्ति नही कर पाता हैं तो अन्य किसी प्रदाय केन्द्र पर उपलब्ध अतिशेष स्टाक में से कमी वाले प्रदाय केन्द्र को गुड़ की पूर्ति की जावेगी। ऐसा करने में कार्पोरेशन द्वारा किये गये परिवहन व्यय , लोडिंग, अनलोडिंग एवं रटेकिंग व्यय का कटौत्रा निविदाकार की देय राशिओं व जमा राशियों से किया जावेगा। प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित मात्रा पर 01 प्रतिशत पेनाल्टी देय होगी।

25.2 परिशिष्ट–एक में उल्लेखित जिलों/प्रदाय केन्द्रों के लिए आदेशित मात्रा का गुड़ सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त पहुंचाने का दायित्व अनुबंधित प्रदायकर्ता का होगा। मार्ग में चोरी/दंगा/लूट/दुर्घटना एवं अन्य आकस्मिक घटना होने के परिणामस्वरूप गुड़ की गुणवत्ता में होने वाली किसी भी प्रकार की कमी/क्षति अथवा होने वाले विलंब का भी दायित्व प्रदायकर्ता का होगा।

25.3 प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में आदेशित मात्रा का गुड़ प्रदाय करने में होने वाले विलम्ब को कारण कोई प्राकृति आपदा/महामारी अथवा ऐसी कोई परिस्थिति जो प्रदायकर्ता के अधिकार क्षेत्र अथवा शक्ति से परे हो तो ऐसी स्थिति गुड़ प्रदाय करने की समय–सीमा में वृद्धि एवं पेनाल्टी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा। जो अंतिम एवं प्रदायकर्ता को बंधनकारी होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

26. पैकिंग हेतु स्पेसिफिकेशन

26.1 गुड़ 01 किलोग्राम के 70 माइक्रान के ट्रांसपरेंट पॉलीपैक में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण विनियम 2011 (FSSAI) के अनुसार पैकेजिंग एवं लेवलिंग नियमों का पालन करते हुए गुड़ को 20–20 किलो के नया सिंगल वॉल पेपरबोर्ड के डिब्बों में भरकर प्रदाय किया जावेगा। 1 किलोग्राम के पालीपैक/20 किलो के कार्टून पर ब्रांडिंग का प्रारूप कार्पोरेशन द्वारा प्रदाय किया जावेगा, जिसकी प्रिंटिंग प्रदायकर्ता करायेगा। ब्रांडिंग के प्रारूप पर प्रदायकर्ता का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। गुड़ की ब्रांडिंग कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित मल्टी कलर में होगी। गुड़ की पैकिंग से संबंधित कार्टून पर प्रारूप नमूना कार्पोरेशन द्वारा दी गई डिजाइन में प्रिंट कराकर पैकिंग के पूर्व अनुमोदित करना होगा व तत्पश्चात ही कार्पोरेशन से सहमति मिलने पर वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही उसकी छपाई अच्छी किस्म की स्याही से प्रदायकर्ता के द्वारा करायी जावेगी। प्रदायकर्ता द्वारा अनुमोदित प्रारूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। कार्पोरेशन को यह अधिकार होगा कि प्रत्येक 3 माह में पैकिंग डिजाइन को विभाग से मांग आने पर परिवर्तित, संशोधित, परिमार्जित किया जा सकता है। **परिशिष्ट–पांच (2)**

26.2 घटिया किस्म की स्याही का उपयोग न किया जाए अन्यथा निगम द्वारा पैनाल्टी स्वरूप रूपये 20/– प्रति मे.टन की दर से कटौत्रा किया जाएगा।

26.3 1 किलो का पालीपैक 70 माइक्रान का निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं पाये जाने पर ऐसी प्रदाय मात्रा पर राशि रूपये 100/– प्रति मे.टन देय राशियों से कटौत्रा किया जावेगा।

26.4 यदि प्रदाय किया गया **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), 2011 गुड़** एवं पैकिंग मटेरियल, छपाई की स्याही आदि उपयुक्त गुणवत्ता व मानक स्तर के नहीं पाये जाते हैं या डिजाइन में प्रयुक्त शाब्दिक सामग्री में कोई परिवर्तन होता है तो कार्पोरेशन भुगतान अस्वीकृत करेगा तथा निर्धारित पेनाल्टी लगायेगा। कार्पोरेशन अनुबंध एक पक्षीय रूप से समाप्त करने के बाबत् विचार कर सकता है किंतु यदि दो बार इस प्रकार की त्रुटि होती है तो संविदा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी। अमानत व जमानत राशि राजसात व सिक्यूरिटी राशि वसूल कर सकेगा।

26.5 प्रदायकर्ता को 1 किलो के पालीपैक/20 किलो के कार्टून पर ब्रान्ड के साथ निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन की अन्य योजनाओं से संबंधित विवरण जो उसे कारपोरेशन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, प्रत्येक 3 माह के निर्देश अनुरूप बदलना होगा। इस हेतु पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी। समय पर इस विवरण को प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी प्रदायकर्ता का होगा।

26.6 20–20 किलो ग्राम के नया सिंगल वॉल पेपरबोर्ड के डिब्बों के लिये पेपरबोर्ड के डिब्बों का साइज Paper Box LWH (400mmX250mmX300mm) all paper, 150GSM, Top paper 180GSM, 18BF, 7ply एवं वजन 950 gms to 1050gms निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार उपयोग किया जावेगा। **परिशिष्ट–पांच (3)**

26.7 20–20 किलो की नई कार्टून स्पेसिफिकेशन अनुसार नहीं पाये जाने पर ऐसी प्रदाय मात्रा पर राशि रूपए 100/– प्रति मे.टन कटौत्रा किया जावेगा।

26.8 आपूर्तिकर्ता पैकिंग एवं वजन संबंधी अधिनियमों का विधिवत पालन करेगा एवं आपूर्तिकर्ता के पास पैकिंग एवं वजन संबंधी सभी उपकरणों में संबंधित विभागों से विधिवत स्टेम्पिंग होना चाहिए।

27. प्रदायकर्त्ता की जानकारी प्रेषण की व्यवस्था –

27.1 प्रदाय आदेश के विरूद्ध प्रतिदिन प्रदाय गुड़ की जानकारी कार्पोरेशन के साफ्टवेयर में ऑनलाइन दर्ज करना होगी ।

27.2 अनुबंधित निविदाकार को उनके आवंटित जिलों में जिलेवार – प्रदाय केन्द्रवार गुड़ प्रदाय सम्बंधी जानकारी प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में ई–मेल **nanheadoffice@gmail.com** पर उपलब्ध कराना होगा।

28. गोदामों का निरीक्षण –

28.1 कार्पोरेशन के अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी को गुड़ प्रदायकर्ता के गोदाम आदि स्थानों पर गुड़ के निरीक्षण का अधिकार होगा । निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की विसंगति/कमी पाई जाती, है तो आदेश निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

29. भुगतान हेतु बिल की प्रस्तुति –

29.1 अनुबंधित गुड़ प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय आदेश अनुरूप जिलो के निर्दिष्ट गोदामों में गुड़ प्रदाय उपरांत भुगतान हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन देयकों के साथ NABL (National Accrediation Board For testing and calibration Laboratories) द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला का गुणवत्ता का प्रमाण पत्र की मूलप्रति निगम मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् देयक में उल्लेखित मात्रा अनुसार प्रदाय केन्द्रों को प्राप्त गुड़ की मात्रा की पुष्टि हेतु प्रदाय आदेश अनुसार ऑनलाईन प्राप्ति रिपोर्ट का मिलान कर 90 प्रतिशत राशि का भुगतान नियमानुसार यदि आवश्यक हो, तो कटौत्रा कर भुगतान किया जायेगा।

29.2 निगम को नियमों/पूर्तियों के अनुरूप प्राप्त गुड़ से संबंधित देयकों का 90 प्रतिशत राशि का भुगतान, कंडिका 29.1 अनुसार वांछित दस्तावेजों सहित देयक प्रस्तुत करने में, और शेष 10 प्रतिशत का भुगतान ऑनलाईन ट्रक चालान पावती जिसमें प्रदाय केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर (सील सहित) एवं तौलपत्रक की मूलप्रति (नान एवं वेयर हाउस के प्रदाय केन्द्र प्रभारी के संयुक्त हस्ताक्षर सहित) प्रदायकर्ता से प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित जिला प्रबंधको से प्रपत्र 13 अ में रिपोर्ट प्राप्त होने व संतुष्ट होने के पश्चात् नियमानुसार निगम मुख्यालय द्वारा किया जायेगा। अनुबंधित निविदाकार को प्रत्येक प्रदाय कार्य आदेश के विरूद्ध **एक देयक या अधिकतम दो देयक** समस्त निर्धारित अनुलग्नकों सहित कार्पोरेशन के मुख्यालय में प्रस्तुत करने की जवाबदेही रहेगी।

29.3. वास्तविक रूप से कार्पोरेशन को प्रदाय किए गए नेट गुड़ के वजन/संख्या/उत्तम गुणवत्ता तथा निविदा में निर्धारित अन्य मापदण्ड तथा पेनाल्टी के आधार पर भुगतान होगा। पेनाल्टी के रूप में अथवा अन्य कटौत्रा में नियमानुसार जीएसटी/अन्य कर भी साथ में कटौत्रा की जावेगी।

29.4 प्रदायकर्त्ता द्वारा जमा करायी गई किसी भी राशि पर तथा देयकों की लंबित राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या/और अन्य कोई क्षति आदि देय नहीं होगा ।

30 अयोग्यताऐं

30.1 प्रदायकर्त्ता की यह स्वंय की जिम्मेदारी होगी कि गुड़ के प्रदाय/प्रेषण करने हेतु समस्त जीवित तथा प्रचलित लायसेंस/परमिट, अन्य वैधानिक दस्तावेज/अनुमति संविदा अवधि में उसको प्राप्त करना होगी व संबंधित व्यय की व्यवस्था भी स्वयं करेगा। इसमें कार्पोरेशन का कोई दायित्व नहीं होगा। तद्विषयक दस्तावेजों के अभाव में या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी प्रदायकर्त्ता की होगी। प्रचलित लायसेंस/परमिट आदि दस्तावेजों को समय रहते नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा, अन्यथा संविदा भंग करने का अधिकार कार्पोरेशन के पास सुरक्षित होगा ।

30.2. प्रदायकर्ता के द्वारा जानबूझकर प्रदाय में विलंब, गुड़ की अफरा–तफरी, अमानक स्तर के स्कंध प्रदाय व अन्य कपटपूर्ण आचरण करने पर उसके विरूद्ध अन्य कार्यवाहियों के अलावा निविदाकार द्वारा जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में जब्त किया जाएगा, या निविदाकर्ता को आगामी 03 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट/प्रतिबंधित/अयोग्य किया जाएगा अथवा दोनों कार्यवाही एक साथ की जाएगी।

30.3. प्रदायकर्ता या उससे संबंधित उसके पार्टनर/बिजनेस एसोसिएट/स्टाफ/मजदूर के विषय में कार्पोरेशन को यह विश्वास होने पर कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा/आचरण संदिग्ध है, तब कार्पोरेशन की सर्वोच्च छवि एवं हितों के लिए ऐसे प्रदायकर्ता को उसी समय कार्पोरेशन से संबंद्ध समस्त कार्यवाहियों के लिए अयोग्य घोषित कर प्रचलित प्रक्रिया से/संविदा से हटा देगा। प्रदायकर्ता के इस कृत्य के कारण कार्पोरेशन की प्रतिष्ठा, छवि, कार्यकुशलता पर आये विपरीत प्रभाव की वसूली प्रदायकर्ता से की जायेगी।

30.4 प्रदायकर्ता द्वारा असत्य, छलपूर्ण या त्रूटिपूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने, संविदा के नियम, निर्देश, शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध समाप्त किया जायेगा और अनुबंध की शेष अवधि के लिए प्रदायकर्ता की जोखिम एवं खर्च पर कार्य करवाया जाकर राशि वसूली जायेगी।

30.5 भारत/राज्य शासन या उनके उपक्रमों द्वारा गुड़ प्रदाय निविदा में, भाग लेने से प्रतिबंधित किये गये अथवा काली सूची में दर्ज किये गये गुड़ प्रदायकर्ता, कार्पोरेशन की इस निविदा में भाग लेने हेतु अयोग्य माने जावेंगे।

30.6 अनुबंधित प्रदायकर्ता, कार्पोरेशन द्वारा जारी प्रदाय आदेश के विरूद्ध निरंतर गुड़ प्रदाय में असफल रहता है तथा प्रदाय में विलम्ब के कारण निविदा की कंडिका 32 अनुसार अधिरोपित पेनाल्टी की राशि कुल प्रदाय किये गये गुड़ के मूल्य की राशि [illegible] प्रतिशत से अधिक होती है तो उसे कार्पोरेशन की गुड़ क्रय की आगामी 03 वर्ष में आहूत निविदाओं में [illegible] से अयोग्य घोषित किया जावेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

31. गुड़ की गुणवत्ता –

31.1 प्रदाय किए जाने वाला **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), 2011 गुड़** शुद्ध, साफ एवं नमी रहित परिशिष्ट 5 अनुसार निर्धारित मानक स्तर का होना चाहिए। प्रदायकर्ता द्वारा देयक प्रस्तुत करते समय प्रदाय मात्रा हेतु NABL (National Accrediation Board For testing and calibration Laboratories) द्वारा अधिकृत प्रयोगशाला का गुणवत्ता का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है। निगम के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि रेक/केन्द्रों पर प्राप्त गुड़ को अपने स्तर पर भी परीक्षण करावे। परीक्षण में निर्धारित मापदंड का नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। परिशिष्ट–पांच (1)

31.2 गुड़ भंडारण के दौरान गुड़ पिघलना एक समस्या है। यदि आपूर्ति के बाद गुड़ पिघलने की स्थिति पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को पिघले हुए गुड़ के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता (निर्धारित मानक स्तर) का गुड़ अपने व्यय पर प्रदाय किया जाना अनिवार्य है।

31.3 प्रदायकर्ता द्वारा प्रेषित गुड़ निर्धारित मानक गुणवत्ता का नहीं पाए जाने पर प्रदायकर्ता गुड़ अपने खर्चो पर वापस ले जाएगा। यह निम्नांकित स्थिति पर लागू होगा :–

अ. निगम के प्रदाय केंद्र में प्राप्ति के समय।

ब. निगम के प्रदाय केंद्र में प्राप्ति के पश्चात्।

स. प्रदाय केंद्र से उचित मूल्य दुकान में भंडारण के बाद ।

उपरोक्तानुसार अ, ब, स के स्थिति के कारण बदले गए (Replace) गुड़ प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे प्राप्त (Replace) गुड़ अमानक स्तर का पाया जाता है तो,

प्रदायकर्ता ऐसी स्थिति में पहली बार 15 दिवस में अपने खर्चों से गुड़ उठायेगा। 15 दिवस में गुड़ नहीं उठाये जाने पर व 15 दिवस पश्चात् प्रतिदिन अमानक गुड़ की राशि का 1 प्रतिशत की पेनाल्टी अधिरोपित की जावेगी। दूसरी बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से अमानक गुड़ की राशि का 1 प्रतिशत पेनाल्टी प्रदायकर्ता द्वारा देय होगी। तीसरी बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से प्रदायकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदाय करते हुए अमानक गुड़ की राशि का 2 प्रतिशत पेनाल्टी लगाया जाकर प्रदायकर्ता को कालीसूची में डालने अथवा अमानत/जमानत राजसात अथवा दोनो ही कार्यावाही किया जा सकेगा।

31.4 गुड़ की गुणवत्ता अवधि न्यूनतम 06 माह होना चाहिए।

32. प्रदाय में बिलम्ब/डिफाल्ट आदि की स्थिति में पेनाल्टी/दाण्डिक कटौत्रा –

32.1 छ.ग. भण्डार क्रय नियम के प्रावधानो के अंतर्गत प्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर यदि गुड़ प्रदाय नहीं किया जाता है तो कार्पोरेशन द्वारा 2 प्रतिशत प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ समयावधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी। प्रदाय आदेश मात्रा का गुड़, प्रदाय केन्द्रों तक पहुंचाने के लिए प्रदायकर्ता को 30 दिवस का समय दिया जावेगा यदि एक माह से ज्यादा का प्रदाय आदेश देने पर प्रबंध संचालक छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन यदि चाहे तो प्रदाय अवधि में कमी/अधिक करने की अधिकार है।

32.2 प्रदायकर्ता से कार्पोरेशन को वसूली योग्य राशि की वसूली छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता के नियमों एवं प्रावधानों के तहत् भू–राजस्व बकाया की भांति की जावेगी।

32.3 निविदा नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किए जाने की दशा में जमा अमानत/जमानत राशि कार्पोरेशन के पक्ष में जब्त किया जाएगा, या निविदाकर्ता को आगामी 03 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट/ प्रतिबंधित/ अयोग्य किया जाएगा अथवा दोनों कार्यवाही एक साथ की जाएगी।

32.4 कार्पोरेशन का यह प्रदाय आदेश अंहस्तांतरणीय है, जिस निविदाकार को यह कार्य स्वीकृत किया जायेगा, उसे ही यह कार्य अपने नाम से करना होगा। सब कांट्रेक्ट के लिए अधिकार नहीं रहेगा। निविदाकार यह कार्य किसी अन्य व्यक्ति /प्रतिष्ठान/व्यवसायी/फर्म इत्यादि को आबंटित नहीं कर सकेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

33 प्रदाय स्कंध अमानक होने की स्थिति में –

33.1 प्रदाय किए जाने वाला गुड़ शुद्ध, साफ एवं नमी रहित निर्धारित मानक स्तर का गुड़ नहीं पाया जाता है तो ऐसा गुड़ स्कंध अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

33.2 अनुबंधित प्रदायकर्ता का दायित्व होगा कि आदेशित मात्रा में गुड़ निर्दिष्ट स्पेसीफिकेशन का निर्दिष्ट प्रदाय केन्द्र तक पूर्ण रूप से सुरक्षित स्थिति, साउड पैकिंग में उपलब्ध करावें । प्रदाय केन्द्र पर प्राप्त गुड़ की कटी–फटी पालीपैक/कार्टून व खुले गुड़ को अस्वीकृत (rejected) किया जायेगा ।

33.3 प्रदाय केन्द्र के गोदाम पर अस्वीकृत गुड़ को प्रदायकर्ता को निगम द्वारा सूचित किये जाने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में वापस अपने व्यय पर उठाना होगा। ऐसे अस्वीकृत गुड़ पर होने वाले समस्त प्रकार के व्यय/हर्जे खर्चे यथा भंडारण व्यय, लोडिंग/अनलोडिंग इत्यादि की प्रतिपूर्ति प्रदायकर्ता द्वारा कार्पोरेशन को की जानी होगी या स्वंय को व्यय वहन करना होगा। पेनाल्टी की राशि कंडिका 31 के आधार पर अधिरोपित की जाएगी।

33.4 ऐसे अस्वीकृत गुड़ के विरूद्ध राशि का भुगतान प्रदायकर्ता को नहीं किया जाएगा तथा यह मानते हुए कि निर्धारित मात्रा में प्रदाय नहीं किया गया है, प्रदायकर्ता पर **कंडिका 30, 31 एवं 32** के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रदायकर्त्ता का यह दायित्व होगा कि वे कार्पोरेशन को ऐसी स्थिति में होने वाली समस्त हानियों की प्रतिपूर्ति करें। ऐसे गुड़ के निराकरण पर होने वाले समस्त व्यय हर्जे खर्चे की अंतर की राशि, प्रदायकर्ता के देयकों/बिलों से समायोजित कर ली जायेगी यदि अस्वीकृत गुड़ से कार्पोरेशन को काई आर्थिक लाभ होता है तो उस पर प्रदायकर्ता का कोई अधिकार नहीं होगा।

34. कार्पोरेशन को हानि प्रतिपूर्ति –

प्रदायकर्त्ता द्वारा गुड़ प्रदाय संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर कार्पोरेशन प्रदायकर्त्ता/निविदादाता का अनुबंध समाप्त करने व सिक्यूरिटी राशि राजसात करने हेतु सक्षम है ।

35. विवादों का निराकरण –

35.1 इस निविदा में उल्लेखित समस्त कंडिकाओं और परिशिष्टों के अभिप्राय (इन्टरप्रिटेशन), व्याख्या और स्पष्टता के विषय में किसी भी प्रकार से उत्पन्न विवाद का अंतिम निर्णय कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों (निगम एवं निविदाकार) को मान्य होगा।

35.2 उभय पक्षों के मध्य इस निविदा तथा अनुबंध के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने के 60 दिवस के भीतर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को निराकरण हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे जिसका निराकरण प्रस्तुति दिनांक से 30 दिन के भीतर किया जावेगा। उक्त 30 दिन की समय सीमा उभय पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। यदि कोई पक्ष, प्रबंध संचालक द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट हो या प्रबंध संचालक के द्वारा उक्त विवाद को निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ मध्यस्थ अधिकरण, रायपुर में निर्णय हेतु प्रस्तुत कर सकता है जिसका निराकरण छत्तीसगढ़ मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 के तहत होगा, जो अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

35.3 मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड में देय राशि या उसके किसी भाग पर अवार्ड दिनांक से पूर्व कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

36. संविदा को शासित करने वाले कानून/विधि –

संविदा, तत्समय भारत में प्रभावशील कानूनों/विधियों द्वारा शासित अर्थात् लागू होगा।

37. सरसरी तौर पर समापन –

यदि प्रदायकर्ता को दिवालिया निर्णीत किया जाता है या वे अपना व्यापार परिसमाप्त या बंद कर रहे हैं या अपने लेनदारों से कोई व्यवस्था कर रहे है या इस संविदा के किसी प्रावधान या संविदा को शासित करने वाली किसी भी शर्त एवं निबंधनों का पालन करने में विफल रहते है, सेवा में उसकी अकुशलता से कारपोरेशन को हानि होती है, तो कारपोरेशन संविदा को तुरंत समाप्त कर देगा तथा संविदा की शेष अवधि के लिये कार्य प्रदायकर्ता के जोखिम एवं लागत पर करवाया जायेगा एवं इसके परिणाम स्वरूप हुई क्षति, हानि, प्रभार, खर्चे, लागत को प्रदायकर्ता से वसूलेगा। भागीदारी अधिनियम के अधीन विधिवत् रूप से गठित भागीदारी फर्म के भंग हो जाने की स्थिति में कारपोरेशन द्वारा देय राशि का निपटारा [illegible] के आदेशानुसार किया जाएगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

38. सैट ऑफ :

इस संविदा व प्रदायकर्ता द्वारा कार्पोरेशन के साथ अन्य संविदा के अंतर्गत प्रदायकर्ता को देय एवं भुगतान योग्य किसी भी राशि से किसी भी दावे को सैट ऑफ/समायोजित कर सकेगा।

39. लेखा–बही निरीक्षण –

जब कभी भी महाप्रबंधक या अधिकृत अधिकारी द्वारा कहा जाये प्रदायकर्ता किसी भी लागत या लेखे की अन्य लेखा पुस्तिका, रसीदों, पत्रों, ज्ञापनों या लिखितों या ऐसे किसी भी दस्तावेज की सत्य प्रति या उसके सारांश को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा।

40. भ्रष्ट आचरण/रिश्वत/घूसखोरी/कमीशन आदि –

निविदाकारों द्वारा या उनकी ओर से कारपोरेशन के किसी अधिकारी या सेवक को कोई अनुकूल व प्रतिकूल कार्य हेतु किसी रिश्वत, कमीशन या लाभ के लिये दिये गये आफर या उसके लिये किये गये किसी वायदे से उनकी निविदाओं को विचार करने से वंचित कर देगा। निविदाकार द्वारा उसकी ओर से किसी भी प्रकार के प्रचार से भी उसकी निविदा निरस्त/अस्वीकार कर दी जावेगी तथा 03 वर्ष के लिये कपटपूर्ण आचरण के अन्तर्गत कंडिका क्र. 32 एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

41 व्यवहार एवं आचरण:

प्रदायकर्ता एवं उसके द्वारा नियोजित समस्त कर्मचारी/श्रमिक कारपोरेशन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से सौहार्द व विवेकपूर्ण रहते हुए कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। प्रदायकर्ता की अथवा उसके कर्मचारियों की अथवा उसकी कर्मचारियों/ अधिकारियों की कारपोरशेन के अधिकारियों/कर्मचारियों से झगड़ा/दबाव की मनोवृत्ति/ प्रवृत्ति/अभद्र/अशोभनीय व्यवहार प्रदर्शित होने पर, कारपोरेशन के मुख्यालय/ जिला कार्यालय से संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट पर कारपोरेशन उसकी संविदा को तत्काल समाप्त कर देगा एवं उसे आगामी निविदाओं में किसी भी हैसियत से भाग लेने से भी वंचित कर देगा इसके साथ अन्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण कर वसूली करेगा व प्रदायकर्ता के विरूद्ध समस्त कार्यवाहियाँ संस्थित करेगा। फलस्वरूप अनुबंधित दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

42. कार्यादेश प्राप्ति–

प्रदायकर्ता को इस कार्पोरेशन के मुख्यालय/जिलों में जिला प्रबंधकों द्वारा समय–समय पर कार्यादेश दिया जायगा जिसे प्रदायकर्ता को मान्य/स्वीकार करना होगा। कार्यादेश की तामीली ई–मेल या फेक्स या पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से की जायेगी।

43. विविध –

43.1 किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण/आंशिक मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार या निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा ।

43.2 सशर्त निविदा निरस्ती योग्य होगी ।

43.3 प्रदायकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत दर निविदा खुलने दिनांक से 180 दिन तक विचार हेतु वैध रहेगी ।

43.4 संविदा में स्पष्टतः अवधि अंकित करने के उपरान्त भी, कार्पोरेशन के पास पूर्णतः यह अधिकार सुरक्षित रहेगा, कि वह बिना कोई कारण बताएं उक्त संविदा को किसी भी समय एक पक्षीय रूप से निर्धारित समयावधि के पूर्व निरस्त कर सकेगा। इस स्थिति में प्रदायकर्ता की किसी भी प्रकार का कोई भी दावा/आपत्ति मान्य योग्य नहीं होगी ।

43.5 अनुबंधित निविदाकार द्वारा प्रदाय कार्य उप संविदा पर नहीं दिया जा सकेगा। ऐसी स्थिति पाये जाने पर संविदा निरस्त की जायेगी ।

43.6 गुड निर्दिष्ट स्थानों तक समय पर सुरक्षित पहुंचाकर देने का उत्तरदायित्व अनुबंधित निविदाकार का है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

43.7 किसी भी जिले में नवीन प्रदायकेन्द्र जुड़ने पर उस जिले की दरें लागू होगी, जिसे प्रदायकर्ता को मानने की बाध्यता होगी।

43.8 तकनीकी बीड एवं फाईनेंशियल बिड संबंधी घोषणा पत्र संलग्न परिशिष्ट–7–8 अनुसार राशि रूपए 100/– (रू. एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराकर स्केन कर तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत किया जावे।

43.9 कंडिका 4. एवं परिशिष्ट क्र.–10 अनुसार तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों के, प्रत्येक पृष्ठ को स्वप्रमाणित कर, स्केन कर ऑनलाइन तकनीकी बिड में अपलोड कर प्रस्तुत करें। निविदाकारों से अनुरोध है कि निविदा को पूर्ण ध्यान से पढ़ें तथा अनावश्यक दस्तावेज स्केन कर संलग्न न करें।

43.10 तकनीकी बिड में प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज स्पष्ट एवं पठनीय तथा उन पर संबंधितों के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा स्पष्ट दर्शित होना चाहिए। इसके अभाव में तकनीकी बिड निरस्त की जा सकेगी।

43.11 गुड़ का क्रय शासन/निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित नीति, निर्देशो के अनुसार किया जाएगा। शासन की नीति आदि परिवर्तित होने अथवा आदेश होने पर निविदा स्वीकृति के बाद भी गुड़ प्रदाय कार्य रोका जा सकता है इससे अगर प्रदायकर्ता को किसी भी स्वरूप/प्रकृति की कोई भी क्षति होती है तो उसकी जवाबदारी कार्पोरेशन की नहीं होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट–एक

बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले व प्रदाय केन्द्रों के नाम व आबंटन –

संभाग का नाम	संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले व प्रदाय केन्द्रों के नाम			प्रदाय केन्द्रवार संभावित माहवार आबंटन (मैट्रिक टन में)
बस्तर संभाग के राजस्व जिले	बस्तर	1	करपावंड	71.51
		2	बस्तर(घाट लोहंगा)	127.56
		3	केशलुर	77.78
		4	जगदलपुर	87.27
			योग	**364.14**
	बीजापुर	5	बीजापुर	54.91
		6	भोपालपट्टनम	30.64
		7	भैरमगढ़	30.39
		8	उसुर(आवापल्ली)	25.07
			योग	**141.01**
	दन्तेवाड़ा	9	कुआकोण्डा	36.23
		10	गीदम	45.22
		11	दन्तेवाड़ा	74.74
			योग	**156.19**
	कांकेर	12	अंतागढ़	34.26
		13	आमाबेड़ा	9.57
		14	कांकेर	50.18
		15	चारामा	49.09
		16	नरहरपुर	48.08
		17	पंखाजुर	69.89
		18	भानुप्रतापपुर	70.31
			योग	**331.39**
	कोंडागांव	19	केशकाल	85.19
		20	कोंडागांव	95.05
		21	बड़ेडोगर	45.29
		22	माकड़ी	48.97
			योग	**274.52**
	नारायणपुर	23	नारायणपुर	61.55
			योग	**61.55**
	सुकमा	24	सुकमा	90.86
		25	कोंटा	25.88
		26	दोरनापाल	30.52
			योग	**147.26**
			कुल	**1476.07**

नोट –

01. उपरोक्त दर्शित प्रदाय केन्द्रों की सूची में कमी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। प्रदायकर्ता आदेशानुसार प्रदाय करने हेतु बाध्य है।

02. केन्द्रों में दर्शित मात्रा घट या बढ़ सकती है जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होगा एवं स्वीकृत दरों में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट –दो

निविदाकार फोटो चिपकाए

// निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण //

प्रेषक,

.....(गुड़ प्रदायकर्ता का नाम एवं पूर्ण पता)

.....

.....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपो0लि0,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रिय महोदय,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पो.लिमि. द्वारा परिशिष्ट–01 अनुसार **बस्तर राजस्व संभाग** के संबध्द प्रदाय केन्दों/ गोदामों में **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011, **गुड** पहुँचाकर सुपुर्दगी हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/ मैने यह निविदा फार्म वेबसाइट Gem Portal से डाउनलोड किया है। हमने/मैने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशों, निविदा दस्तावेज–संविदा शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्टों में दिये गये विवरण को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है तथा हम/में उनके पालन के लिये सहमत हैं/हूँ तथा बाध्य है/हूँ।

इस संदर्भ में हमारा / मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

क्र	वांछित विवरण के बिन्दु	वांछित विवरण
1	निविदाकार/फर्म/कंपनी का नाम व पता	
2	दूरभाष क्रमांक कार्यालय/इंडस्ट्री, मोबाईल नंबर	
3	निविदाकार का ई–मेल आई.डी. एवं फैक्स नम्बर एस.टी.डी.कोड सहित	
4	निविदाकार की संस्था का स्वरूप (फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिंदु अविभाजित परिवार आदि)	
5	प्रोपराइटर/ भागीदार/ प्रबंध संचालक का नाम व पता सम्पर्क दूरभाष– मोबाईल नम्बर सहित	
6	यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदार के नाम/पते	
7	कंपनी की स्थिति में कंपनी का पंजीयन क्र0 तथा दिनांक	
8	फर्म/कंपनी की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

9	निविदा की शर्तो के अनुरूप भारतीय **खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण** (FSSAI), 2011 गुड़ के संदर्भ में पूर्व प्रदाय अनुभव	
10	बैंकर का नाम शाखा सहित (खाता क्रमांक लिखें)	बैंकर का नाम – ..... बैंक खाता क्रमांक – ..... आइ.एफ.एस.सी.कोड – .....
11	बस्तर संभाग हेतु **राशि रू 01 करोड़ 16 लाख** (रू. एक करोड़ सोलह लाख रू मात्र) अमानत राशि R.T.G.S./Transfer के माध्यम से निविदाकार के स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से C.G. State Civil Supplies Corporation Ltd के खाता क्रमांक–**10822706427** IFSC code-SBIN0008536, Commercial Branch, Pachpedi Naka, Raipur, भारतीय स्टेट बैंक में ऑनलाईन जमा करना होगी।	बस्तर संभाग हेतु **राशि रू 01 करोड़ 16 लाख** (रू. एक करोड़ सोलह लाख रू मात्र) अमानत राशि R.T.G.S./Transfer के माध्यम से निविदाकार के स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD के खाता क्रमांक–**10822706427** IFSC code-SBIN0008536, Commercial Branch, Pachpedi Naka, Raipur, भारतीय स्टेट बैंक में जमा कराने के प्रमाण के रूप में ई–रिसीप्ट की प्रति स्केन कर प्रस्तुत है।
12	खाद्य पदार्थ/खाद्यान्न प्रदाय हेतु भारत/राज्य शासन/ या उनके उपक्रमों द्वारा खाद्य पदार्थ प्रदाय निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित/ काली सूची में दर्ज किया गया हो तो विवरण अनिवार्यतः अंकित करें।	
13	निविदा दस्तावेजों के साथ निविदाकार को **GST Act 2016** के अंतर्गत निविदाकार को **GST Registration Certificate** उपलब्ध कराया जाना होगा। (If applicable)	
14	गुड़ प्रदाय के विगत 05 वर्षो में से किसी 01 वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 3000.00 मे.टन प्रदाय का शासन/शासकीय संस्था/ शासकीय उपक्रम को कार्यानुभव। गुड़ प्रदाय हेतु कार्यानुभव से संबंधित शासन / शासकीय संस्था / शासकीय उपक्रम द्वारा जारी कार्य / अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति स्वप्रमाणित करते हुए स्केन कर ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत करना है।	गुड़ प्रदाय के विगत 05 वर्षो में से किसी 01 वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 3000.00 मे.टन प्रदाय का शासन/शासकीय संस्था/ शासकीय उपक्रम को कार्यानुभव । गुड़ प्रदाय हेतु कार्यानुभव से संबंधित शासन / शासकीय संस्था / शासकीय उपक्रम द्वारा जारी कार्य / अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति स्वप्रमाणित करते हुए स्केन कर ऑनलाईन निविदा में प्रस्तुत करना है।

घोषणा

01. हमें/मुझे निविदा फॉर्म में उल्लेखित की गई दरें निविदा खुलने के दिनांक से 180 दिन तक तथा कंडिका 15 एवं 21 की उपकंडिकाओं में वर्णित स्थिति अनुसार वैध रहेगी, जिसे मानने के लिए हम/मैं बाध्य रहेंगे/रहूंगा।
02. यदि निगम द्वारा हमें/मुझे गुड़ प्रदाय का कार्य सौंपा जाता है तो हम/मैं निर्धारित अवधि में नियमानुसार परफॉरमेन्स/सिक्यूरिटी राशि जमा करके एवं बैंक गारंटी प्रस्तुत कर अनुबंध करने के लिए सहमत हैं/हूं ।
03. हम/मैं घोषित करते हैं/करता हूं कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान में सही हैं एवं इनके लिये मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ ।

टीप – इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रुप से भरें एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्टी अति आवश्यक है अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
कंपनी/फर्म का नाम.....
पूरा पता.....
हैसियत.....
मुहर/सील.....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट–तीन

अनुबंध– पत्र (नमूना प्रति)

(रू.100/– मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. द्वारा मेरे/हमारे द्वारा दिनांक .....को प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय नवा रायपुर को प्रस्तुत मोहरबंद निविदा के प्रतिउत्तर में कार्पोरेशन मुख्यालय के पत्र क्र./गुड़/ ..... नवा रायपुर दिनांक .... अनुसार **परिशिष्ट–एक** में दर्शित **बस्तर संभाग** हेतु संबध्द प्रदाय केन्दों / स्थित स्थानीय गोदामों में **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 गुड़ परिशिष्ट क0–चार में समस्त व्ययों–करों आदि सहित उल्लेखित गोदाम में पहुंचाकर देने तक की अंकित दरों (एफ0ओ0आर) हेतु निविदा स्वीकृत करने के लिये सहमत हैं । अतः मैं /हम (यहां संविदाकार के पूरे नाम और पते का उल्लेख करें) मेसर्स..... .....

जो कि एक पंजीयन निर्माता/ भागीदारी फर्म/ स्वामित्व प्रोपाईटरशिप फर्म/ कंपनी है और जिसके भागीदार/ स्वामी) श्री..... पुत्र .....श्री.....निवासी.....एवं फर्म का पंजीकृत .....(जिसे इसमें इसकी आगे प्रदायकर्ता कहा गया है एवं प्रबंध संचालक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. नवा रायपुर (जिसे इसमें कार्पोरेशन कहा गया है) के बीच आज दिनांक ..... को यह करार निष्पादित करता हूं/करते हैं । इसके द्वारा इस बात की पुष्टि करता हूं/ करते हैं कि मैंने/ हमने छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. के विभिन्न निर्धारित प्रदाय केन्दों/ गोदामों में निर्धारित स्पेसीफिकेशन का **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)**, 2011 **गुड़** प्रदाय करने हेतु संविदाकार की नियुक्ति के संबंध में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक .....दिनांक..... तथा संपूर्ण निविदा दस्तावेज, संविदा की सामान्य शर्तों और उसके अनुबधों/ निर्देशों तथा परिशिष्टों का अवलोकन कर लिया है तथा उनसे पूर्णतः सहमत हूं/है मै /हम, मेरे/ हमारे द्वारा प्रबंध संचालक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. रायपुर को प्रस्तुत निविदा के परिणामस्वरूप प्रस्ताव पत्र कमांक .....दिनांक..... में जो इस करार का एक भाग है मैं/ हम गुड़ की निविदा में प्रस्तुत एवं स्वीकार / ऑफर की गई दरों पर निविदा के प्रावधानों तथा शर्तो के अनुसार उक्त कार्य स्वेच्छा से ले रहा हूँ/ ले रहे हैं । मैं / हम उक्त कार्पोरेशन को यह आश्वासन देता हूं / देते हैं कि मै/ हम उक्त कार्य को इस संविदा की अवधि पर्यन्त सभी अवस्थाओं में मेरी / हमारी सर्वोत्तम योग्यता से करूंगा / करेंगे एवं इसके प्रति पूर्ण रूप से जवाबदेह रहूंगा/रहेंगे ।

निविदा दस्तावेज में समाहित उदबोधन, निविदा निर्देश व मार्गदर्शक सूचनाएं सभी नियम एवं शर्तें, उसमें सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस अनुबंध पत्र के अभिन्न अंग है जो हमें मान्य है, और हम दोनों पक्षकार इनसे आबद्ध रहने के लिये बाध्य हैं । गुड़ प्रदायकर्ता .....एतद् द्वारा अनुबंध की उक्त शर्तें एवं ऑफर, निविदा आमंत्रण, नियम एवं शर्तें पूर्ण रूप से स्वीकार करता है एवं निम्न गवाहों के समक्ष अनुबंध का निष्पादन करता है। इससे संबंधित सभी न्यायिक प्रकरण का क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय रायपुर होगा।

यह करार दिनांक ..... से ..... के लिये या उस दिनांक तक, जिस दिनांक तक यह संविदा बढाई जाये लागू रहेगा।

संलग्न – ऑनलाईन क्रय निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर सहमति/परिपालन बंधनकारी स्वरूप, मुद्रासहित हस्ताक्षरित मूल दस्तावेज।

प्रदायकर्त्ता हस्ताक्षर
(हैसियत सहित एवं पद– संस्था मुदा)

कार्पोरेशन की ओर से अधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

साक्षी

1. हस्ताक्षर .....
   नाम एवं पता.....

2. हस्ताक्षर .....
   नाम एवं पता.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर.....
   नाम एवं पता .....

2. हस्ताक्षर.....
   नाम एवं पता .....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

Annexure-4

FINANCIAL BID

According to the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) 2011 tender, the supply rates including all taxes and expenses for delivering/stacking tax etc. to the supply centers/warehouses of Bastar division located in Chhattisgarh as per the tender of Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) 2011 of the specification prescribed in ANNEXURE Number - 4

SN	Name Of The Division Determined As Per ANNEXURE -A For Which The Tender Is Being Submitted	Rates in figures (in Rs.) Per Kg (INR)	Rates in words (in Rs.) per Kg (INR)
1	2	3	4
	For supply centers/warehouses of Bastar division (including all expenses)		

The lowest rate has been offered by me/us as above.

Date.....

Name of tenderer.....

Digital Signature/Seal

Status

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट – पांच

गुड़ के स्पेसिफिकेशन एवं पैकिंग कंटेनर एवं कार्टून के स्पेसिफिकेशन

1. **गुड़ के स्पेसिफिकेशन –**

1.1 गुड़ के स्पेसिफिकेशन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), 2011 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है। सुलभ संदर्भ के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), 2011 के निर्धारित मापदण्ड स्पेसिफिकेशन पुस्तिका परिशिष्ट–13 में उपलब्ध है)

2. **पैकिंग पालीपैक के स्पेसिफिकेशन –**

2.1 1 किलो की 70 माइक्रान के ट्रांसपरेंट पॉलीपैक में मल्टी कलर में तैयार किया जाएगा। पॉली फिल्म साफ, एक समान टेक्सचर की, ट्रांसपिरेंट, मजबूत, होना चाहिए। निर्धारित मापदण्ड स्पेसिफिकेशन पुस्तिका परिशिष्ट–13A में उपलब्ध है)

2.2 इस पालीपैक पर कार्पोरेशन द्वारा दिया गया विवरण चिन्ह, फोटो, अन्य विवरण मल्टी कलर में प्रिंट कराना होंगे, जिसके लिए अच्छी स्याही, अच्छे कलर्स का प्रयोग करना होगा। पालीपैक में बहुत आकर्षक छपाई करना होगी।

2.3 पालीपैक पर विभाग का अंकित विवरण प्रति तीन माह में बदलना होगा। प्रदायकर्ता/निर्माता को इसका पालन करते हुए तदानुसार प्रदाय करना होगा।

3. **कार्टून के स्पेसिफिकेशन –**

3.1 20–20 किलो ग्राम के नया सिंगल वॉल पेपरबोर्ड के डिब्बों के लिये पेपरबोर्ड के डिब्बों का साइज Paper Box LWH (400mmX250mmX300mm) all paper, 150GSM, Top paper 180GSM, 18BF, 7ply एवं वजन 950 gms to 1050 gms निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार उपयोग किया जावेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट – छः

टर्नओव्हर दर्शाने हेतु निर्धारित प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गुड़ प्रदायकर्ता मे. .... के वित्तीय वर्ष **2021–22 अथवा 2022–23 अथवा 2023–24** के अंकेक्षित लेखों के आधार पर उनकी फर्म/कंपनी के खाद्य पदार्थ/खाद्यान्न व्यवसाय (जिसमें गुड़ व्यवसाय भी सम्मिलित है) का उक्त तीन वित्तीय वर्षो का टर्नओव्हर निम्नानुसार है –

(राशि रू. करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	फर्म/कंपनी के खाद्य पदार्थ /खाद्यान्न व्यवसाय (जिसमें गुड़ व्यवसाय भी सम्मिलित है) का कुल टर्न ओव्हर
.....	
.....	
.....	

दिनांक.....

हस्ताक्षर

चार्टर्ड अकाउन्टेंट
नाम व सील के साथ
Firm Reg. No _____
Membership. No _____

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट–सात

तकनीकी बिड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग) नोटराईज्ड प्रति
(100 /– के नॉन ज्यूडिसियल के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय रायपुर द्वारा प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपयोग हेतु गुड प्रदाय हेतु खुली आमंत्रित निविदा में, स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। मैं/हमने, यह निविदा दस्तावेज वेबसाइड Gem Portal पर प्रकाशित निविदा सूचना एवं दस्तावेजों को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है, और हम निर्धारित शर्तों तथा स्पेसीफिकेशन के अनुसार मै/हम, जिले के निर्धारित प्रदाय केन्द्र के गोदामो में गुड़ पहुँचाकर देने के लिये निविदा दरें प्रस्तुत कर रहे है। **बस्तर राजस्व संभाग** के अंतर्गत आने वाले जिलें व प्रदाय केन्द्रों के लिए निविदा दरें प्रस्तुत कर रहे हैं, उनमें समस्त आवश्यक–आदेशित गुड़ की मात्रा निर्धारित समयावधि में पहुंचाकर देने के लिए पूर्णतः सहमत हूं/हैं । मैंने/हमने निविदा में प्रस्तुत दर दी है, जो समस्त व्ययों सहित हैं ।

2. इस संबंध में हम तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने के प्रमाण में निम्न दस्तावेज पूर्ण सत्यता और निष्ठा के साथ स्वयं की जवाबदेही पर प्रस्तुत कर रहे हैं –

2.1 मैं/हम इस बात का भी पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ प्रमाणन करते हैं/करता हूं कि हमारे द्वारा **बस्तर संभाग** के लिए कुल अमानत राशि रू. ..... (रूपए ..... मात्र) **R.T.G.S./Transfer के माध्यम से** निविदाकार के स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से C.G. State Civil Supplies Corporation Ltd **के खाता क्रमांक–10822706427 IFSC code-SBIN0008536, Commercial** Branch,Pachpedi Naka,Raipur] **भारतीय स्टेट बैंक** में ऑनलाईन जमा की गई है।

2.2 मैं/हम इस बात का भी पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ प्रमाणन करता हूं/करते हैं कि हमारे विरूद्ध आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की अनियमितता विषयक कोई आपराधिक मामला संपूर्ण भारत वर्ष में दर्ज नहीं है और ना ही इस विषय में अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् कोई दण्ड मुझे/हमें प्राप्त हुआ है।

2.3 मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि खाद्य पदार्थ /खाद्यान्न (जिसमें गुड़ व्यवसाय भी सम्मिलित है) प्रदाय के विषय में मुझे/हमें व्यवसाय के दौरान खराब परफॉरमेंस/डिफॉल्टर होने आदि के कारण भारत/राज्य शासन या उनके उपक्रमों द्वारा निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया है और काली सूची में दर्ज/ब्लेकलिस्ट नहीं किया है।

2.4 मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा के तहत् निर्धारित गुड़ समय पर आदेशानुसार छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् वितरण के लिए निर्धारित गोदामों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे संबंधित समस्त जवाबदारी मेरी/हमारी रहेगी।

2.5 मैं/हमारे द्वारा तकनीकी बिड के सील्ड लिफाफे में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/शपथ पत्र के लिये निर्धारित चैक लिस्ट **परिशिष्ट–10** अनुसार दस्तावेज संलग्न किये हैं, तथा संलग्न किये गये दस्तावेज/शपथ पत्र हमारे ज्ञान/संज्ञान के अनुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध व प्रामाणिक हैं, इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से जबावदार होंगे। मैं/ हमारे द्वारा प्रस्तुत फायनेन्शियल बिड स्वीकार होने पर हमारे द्वारा तकनीकी बिड में ऑनलाइन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्र, दस्तावेज/शपथ पत्र की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रति कारपोरेशन द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूँगा।

2.6 मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इस निविदा के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में गुड़ प्रदाय के लिए हमारे पास विधिसम्मत स्थिति अनुसार सभी अनुज्ञा पत्र और अनुमतियां वैध रूप से प्रचलित अवस्था में है। इस गुड़ प्रदाय में इसकी समस्त जवाबदेही हमारी रहेगी।

दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर.....
नाम.....
कंपनी/फर्म का नाम.....
पूरा पता.....
हैसियत.....
मुहर/सील.....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट–आठ

फायनेंशियल बिड संबंधी घोषणा पत्र (अन्डरटेकिंग) नोटराईज्ड प्रति
(100 /– के नॉन ज्यूडिसियल के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय नवा रायपुर द्वारा गुड़ प्रदाय हेतु विज्ञापित निविदा सूचना, वेबसाइड Gem Portal पर प्रकाशित निविदा दस्तावेज, अनुबंध तथा इससे संबंधित समस्त शर्तों ,संलग्न परिशिष्टों को पढ़कर तथा स्थितियों को स्पष्टता समझ कर निविदा में **परिशिष्ट क्रमांक–एक** में छत्तीसगढ़ स्थित कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्र/गोदामों में गुड़ स्कंध पहुंचाकर समस्त व्ययों सहित देने के लिए **बस्तर राजस्व संभाग** के अंतर्गत आने वाले जिलों व प्रदाय केन्द्रों के लिए दरें प्रस्तुत कर रहा हूं/रहे हैं ।

2/ निविदा के **परिशिष्ट क्रमांक–चार** में दरें मेरे/हमारे द्वारा निविदा दस्तावेज तथा अनुबंध की शर्तों तथा इस बारे में समय समय पर कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत् छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित समय–सीमा में गुड़ प्रदाय के लिए दी गई हैं, जिस हेतु मैं/हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।

3/ मैं/हम निविदा दस्तावेज की शर्तों के मुताबिक स्वीकृत/ऑफर की गई दरों की स्वीकृति के दिनांक से 7 दिवस में अनुबंध करूंगा/करेंगे ।

4/ मैं/हम इस निविदा प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा में प्रतिभूति राशि प्रस्तुत कर अनुबंध न करने एवं निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर कार्पोरेशन के पास निविदाकार की उपलब्ध अमानत राशि/अन्य उपलब्ध राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट/प्रतिबंधित/अयोग्य किए जाने के प्रावधान से भिज्ञ हूं।

दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर.....

नाम.....

कंपनी/फर्म का नाम.....

पूरा पता.....

हैसियत.....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट– नौ

प्रतिभूर्ति राशि वापिसी हेतु शपथ पत्र (स्टेंप पेपर पर नोटराइज्ड)
(100 /– के नॉन ज्यूडिसियल के स्टाम्प पेपर पर)

मैं शपथग्रहिता मेसर्स..... के लिए जिनका पता .....है पूर्ण जवाबदेही के साथ निम्न कथन शपथपूर्वक करता हूं कि :–

1 मैं/हम मेसर्स..... छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. मुख्यालय ब्लाक–7 ए, द्वितीय तल, सेक्टर–24, आफिस कांप्लेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर के लिए कार्पोरेशन द्वारा गुड़ कय हेतु आमंत्रित ..... निविदा आंमत्रण क.....दिनॉक.....में अनुबंधित प्रदायकर्ता हूँ/रहा हूँ ।

2. मेरे/हमारे द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुबंधित निविदा अवधि के अंतर्गत कार्पोरेशन मुख्यालय द्वारा समय–समय पर दिए गए प्रदाय आदेशों के अनुरूप ही गुड़ निर्धारित गुणवत्ता का प्रदाय किया गया है। इस प्रदाय की गई मात्रा के भुगतान हेतु निगम को जो देयक प्रस्तुत किए गए हैं उनमें समस्त डिलेव्हरी चालानों का एक बार ही क्लेम निर्धारित स्वीकृत दर के आधार पर किया गया है कोई दोबारा क्लेम की स्थिति नहीं है। भविष्य में यदि इस विषय पर कोई आडिट आपत्ति या विसंगति पाई जाती है तो ऐसी मात्रा के लिए क्षतिपूर्ति बाबत् समस्त उत्तारदायित्व मेरा/हमारा होगा।

3. मैं/हम यह भी उल्लेखित करते हैं कि इस अनुबंध अवधि के लिए कार्पोरेशन के अंकेक्षण/परीक्षण में हमारे संव्यवहार/दावा/स्वीकृत–प्राप्त राशि के लिए यदि कोई तथ्यात्मक कमी/वसूली का दायित्व हमारे विरूद्ध बनता है तो हम इसके लिए पूर्ण उत्तरदायित्व लेता हूं/लेते हैं।

4 मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र आज दिनांक.....को उपरोक्त उल्लेख के साथ अनुबंधित प्रदाय अवधि समाप्त होने पर कार्पोरेशन के पास जमा प्रतिभूति राशि वापसी के लिए पूर्ण सदाशयता के साथ छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिम. मुख्यालय रायपुर को प्रस्तुत किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता
(निविदाकार के नाम–सील सहित)

सत्यापन

मै/हम उपरोक्त शपथग्रहिता शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की कंडिका 1 से 4 मेरे/हमारे द्वारा तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः सही है । यह सत्यापन आज दिनांक.....को स्थान .....में मेरे समक्ष किया गया।

हस्ताक्षर एवं सील नोटरी

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट–दस

तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत किये जा रहे अनिवार्य दस्तावेजों/शपथ पत्र की चैक लिस्ट

निविदाकार का नाम व पता .....
निविदाकार का स्वरूप–प्रो./फर्म/कंपनी .....

सरल क्र.	संलग्नकों का विवरण	संलग्न स्टेट्स
1	फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जारी वैध लायसेन्स (फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट 2011 के अधीन) की प्रति।	संलग्न है/ संलग्न नहीं
2	खाद्य पदार्थ /खाद्यान्न (जिसमें गुड़ व्यवसाय भी सम्मिलित है) का विगत तीन वित्तीय वर्ष में कोई भी एक वर्ष के लिए टर्न–ओवर को संलग्न परिशिष्ट–छः अनुसार निर्धारित प्रारूप में सी.ए. से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।	संलग्न है/ संलग्न नहीं
3	इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी PAN NUMBER.	संलग्न है/ संलग्न नहीं
4	वर्ष 2021–22 अथवा 2022–23 अथवा 2023–24 में से अतिमत: दाखिल एक वित्तीय वर्ष की आयकर विवरणी।	संलग्न है/ संलग्न नहीं
5	राशि रू.....करोड़ (रू. .....मात्र) अमानत राशि R.T.G.S./Transfer के माध्यम से निविदाकार के स्वयं/फर्म/कंपनी के बैंक खाते से C.G. State Civil Supplies Corporation Ltd के खाता क्रमांक–**10822706427 IFSC code-SBIN0008536,** Commercial Branch, Pachpedi Naka, Raipur] भारतीय स्टेट बैंक में ऑनलाईन जमा कराने के प्रमाण के रूप में ई–रिसीप्ट स्केन कर अपलोड करना होगी। (**UTR No.** सहित)	संलग्न है/ संलग्न नहीं
6	निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति की राशि रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मूल पावर ऑफ एटार्नी अथवा राशि रू. 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अधिकार पत्र।	संलग्न है/ संलग्न नहीं
7	निविदाकार की संस्था पंजीयन की स्वप्रमाणित प्रति, पार्टनरशिप की स्थिति में "पार्टनरशिप डीड", कंपनी की स्थिति में **पंजीयन की नोटराईज्ड प्रमाणित प्रति"** समिति की स्थिति में Bye Laws एवं पंजीयन प्रमाण पत्र।	संलग्न है/ संलग्न नहीं
8	तकनीकी बिड संबंधित घोषणा पत्र संलग्न परिशिष्ट–07 अनुसार राशि रू. 100/– (रू. एक सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराकर ।	संलग्न है/ संलग्न नहीं
9	फायनेंशियल बिड संबंधी घोषणा पत्र परिशिष्ट–08 अनुसार राशि रूपए 100/– (रू. एक सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराकर।	संलग्न है/ संलग्न नहीं
10	निविदा दस्तावेज की प्रति जिसमें समस्त पृष्ठों पर निविदाकार के स्वप्रमाणित हस्ताक्षर एवं सील सहित।	संलग्न है/ संलग्न नहीं
11	निविदा दस्तावेजों के साथ निविदाकार को **GST Act 2016** के अंतर्गत निविदाकार को **GST Registration Certificate** उपलब्ध कराया जाना होगा। (**If applicable**)	संलग्न है/ संलग्न नहीं

रिमार्क :– तकनीकी बिड के साथ संलग्न किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ को स्वप्रमाणित कर नोटरी से प्रमाणित कराने के पश्चात्,(निविदा दस्तावेज को छोड़कर) स्केन कर, परिशिष्ट–दस चैकलिस्ट में दर्शाये क्रमानुसार ऑनलाइन तकनीकी बिड में अपलोड किया जाना है। इसका विशेष ध्यान रखें।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं नाम

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

परिशिष्ट– ग्यारह

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1 This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on .....day of the month.....20....., between, the Government of Chhattisgarh acting through Shri.....(Designation of the officer, Department) Government of Chhattisgarh (here in after called the "BUYER", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (name of the Stores/Equipment/Work/Service) and M/s.....represented by Shri .....Chief Executive Officer(hereinafter called the "BIDDER/Seller," which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors an permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/has offered.

1.2 WHEREAS the BIDDER is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER is a Ministry/Department of the Government, performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER and the BIDDER agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to :-

2.1 Enabling the BUYER to obtain the desired Stores/Equipment/Work/Service at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and

2.2 Enabling BIDDERs to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER

The BUYER commits itself to the following :-

3.1 The BUYER undertakes that no official of the BUYER, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2 The BUYER will, during the pre-contract stage, treat BIDDERs alike, and will provide to all BIDDERs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER which could afford an advantage to that particular BIDDER in comparison to the other BIDDERs.

3.3 All the officials of the BUYER will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official (s) is reported by the BIDDER to the BUYER with the full and verifiable facts and the same *prima facie* found to be correct by the BUYER, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER and such a person shall be debarred from further dealings related to the contract process. In such a case while an enquiry is being conducted by the BUYER, the proceedings under the contract would not be stalled.

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

4. COMMITMENTS OF BIDDERS

The BIDDER commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means an illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following :-

4.1 The BIDDER will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2 The BIDDER further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour of disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3 The BIDDER, further confirms and declares to the BUYER that the BIDDER in the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4 The BIDDER, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5 The BIDDER will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6 The BIDDER will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7 The BIDDER shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8 The BIDDER commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9 The BIDDER shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could Justify BIDDER,s exclusion from the tender process.

5.2 If the BIDDER makes incorrect statement on this subject, BIDDER can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1 Every BIDDER while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP as Earnest Money/Security Deposit, with the BUYER through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of .....

(ii) A confirmed guarantee by an India Nationalised/Scheduled Bank, promising payment of the guaranteed sum to the .....(BUYER)..... on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP).

6.2 The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER and BUYER, including warranty period, whichever is later.

6.3 In the case of successful BIDDER a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of performance Bond in case of a decision by the BUYER to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4 No interest shall be payable by the BUYER to the BIDDER on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1 Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER) shall entitle the BUYER to take all or any one of the following actions, wherever required :-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER. However, the proceedings with the other BIDDER(s) would continue. .....

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER and the BUYER shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER, and in case of the Indian BIDDER with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate while in case of a BIDDER from a country other than India with Interest there on at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER from the BUYER in connection with any other contract such outstanding payment could also utilized to recover the aforesaid sum and interest.

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished by the BIDDER, in order to payment, already made by the BUYER, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contract with the BIDDER and the BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such cancellation/rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

(vii) To debar the BIDDER from participating in future bidding processes of the Government of Chhattisgarh for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER(s) to any middlemen or agent or broker with a view to securing the contract.

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

(xi) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER with the BIDDER, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER or any employee of the BIDDER or any person acting behalf of the BIDDER, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER has financial interest/stake in the BIDDER's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER at the time of filling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER to rescind the contract without payment of any compensation to the BIDDER.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependant upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependant upon Government servant.

(xi) The BIDDER shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER, and if he does so, the BUYER shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER. The BIDDER shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER resulting from such rescission and the BUYER shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER.

7.2 The decision of the BUYER to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER shall be final and conclusive on the BIDDER. However, the BIDDER can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1 The BIDDER undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would be refunded by the BIDDER to the BUYER, if the contract has already been concluded.

9. FACILITION OF INVESTIGATION

In case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER and the BIDDER shall provide necessary information to the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination.

10. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER.

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

11. OTHER LEGAL ACTION

This actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

12. VALIDITY

12.1 The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER and the BIDDER/Seller whichever is later. In case BIDDER is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire afte4r six months from the date of the signing of the contract.

12.2 If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

13. The parties hereby sign this Integrity Pact at.....on .....

BUYER	**BIDDER**
Name of the Officer	**CHIEF EXECUTTIVE OFFICER**
Designation	
Department/PSU	
Witness	**Witness**
1.....	1.....
.....	.....
2.....	2.....
.....	.....

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील
(बस्तर राजस्व संभाग)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940
No. 152] NEW DELHI FRIDAY, APRIL 13, 2018/ CHAITRA 23, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एससीएसएसएंडएच/नोटिफिकेशन(03)/एफएसएसएआई-2016.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2017 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. स्टड्र्स/एससीएसएसएंडएच/नोटिफिकेशन(03)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 20 फरवरी, 2017 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किये गए थे जिसमे उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 1 मार्च, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) पांचवा संशोधन विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, विनियम 2.8 में,-

(क) उप-विनियम 2.8.4 में (i)पैराग्राफ 1 में "ईख से निष्पीडन द्वारा या " शब्दों का लोप किया जायेगा।

(ii) पैरा 1 के बाद निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

"2. गन्ने की जैगरी या गन्ने का गुड़:

1. गन्ने की जैगरी या गन्ने का गुड़: गन्ना गुड़ या गन्ना जैगरी गन्ने (Saccharum officinarum) के निष्पीडन द्वारा निकाले गए रस को उबालकर या उसका प्रसंस्करण करके प्राप्त उत्पाद अभिप्रेत है। इसमें स्वास्थ्य के लिए अनुरक्षित पदार्थ नहीं होंगे और शुष्क भार के आधार पर निम्नलिखित विशेषक मानकों के अनुरूप होगा :-

क्रम सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
1.	आर्द्रता, भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	7.0
2.	सुक्रोस , भारानुसार प्रतिशत, न्यूनतम	70.0
3.	कुल शर्करा, न्यूनतम	90.0
4.	अपचयन शर्करा, भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	20.0
5.	सल्फेट भस्म , भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	4.0
6.	तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अघुलनशील भस्म , भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	0.5
7.	बाहरी सामग्री और जल में अघुलनशील पदार्थ, भारानुसार प्रतिशत, अधिकतम	2.0

यदि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग निर्मलीकरण के लिए किया जाता है तो वह खाद्य श्रेणी गुणवत्ता का हो।

2. खाद्य सहयोज्य

इन विनियमो के अधीन अनुज्ञा प्राप्त सहयोज्यों का प्रयोग किया जा सकेगा। रंजक नहीं मिलाये जा सकेंगे।

3. स्वच्छता

उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धातो और अधिनियम के अधीन समय समय पर यथाउपबंध अन्य मार्गदर्शन के अनुसार उत्पाद तैयार और हैंडल किये जायेंगे।

4. संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अनुरूप होंगे।

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद इन विनियमों के परिशिष्ट ख में विनिर्दिष्ट सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे ।

5. पैकेजिंग और लेबलिंग

उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।"

(ख) उप-विनियम 2.8.8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्-

"2.8.8 सोडियम सैकरीन (खाद्य श्रेणी)

1. सोडियम सैकरीन सफेद क्रिस्टल या सफेद दानेदार पाउडर होता है। यह गंधरहित या हल्की गंध वाला होता है। यह स्वाद में, यहाँ तक कि तनु घोल में भी, बहुत मीठा होता है। इसकी 1 ग्रा मात्रा 1.5 मि.ली. पानी और लगभग 50 मि.ली. एल्कोहल में विलयशील होती है। भारतीय मानक आईएस 5345 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण करने पर यह निम्नलिखित अपेक्षाओं की पुष्टि करेगी,-

क्रम सं.	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
1.	$C_7H_5NNaO_3S$ के रूप में शुद्धता, 120°C पर 4 घंटों तक सुखाने के बाद, द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	99.0
2.	आर्द्रता, द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत, अधिकतम	15.0
3.	अम्लता और क्षारीयता	परीक्षण में खरा उतरने हेतु
4.	बेंजोएट और सैलीसाइलेट	परीक्षण में खरा उतरने हेतु
5.	तुरत कार्बनीकरणीय पदार्थ	परीक्षण में खरा उतरने हेतु
6.	टोल्यूइन सल्फोनेमाइड, पी पी एम्, अधिकतम	25.0

2. स्वच्छता

उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के भाग-II में उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों और अधिनियम के अधीन समय समय पर उपलब्ध अन्य मार्गदर्शन के अनुसार तैयार और हैंडल किये जायेंगे।

3. संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अनुरूप होंगे।

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद इन विनियमों के परिशिष्ट ख में दी गई सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

4. पैकेजिंग और लेबलिंग

उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।"

(ग) उप-विनियम 2.8.11 के पश्चात निम्नलिखित उप -विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा , अर्थात्,-

"2.8.12 कैल्शियम सैकरीन (खाद्य श्रेणी)

1. कैल्शियम सैकरीन सफेद क्रिस्टल या सफेद दानेदार पाउडर होता है। यह गंधरहित या हल्की गंध वाला होता है। यह स्वाद में, यहाँ तक कि तनु घोल में भी, बहुत मीठा होता है। इसकी 1 ग्रा मात्रा 1.5 मि.ली. पानी में घुलनशील है। भारतीय मानक आईएस 5345 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार परीक्षण करने पर यह निम्नलिखित अपेक्षाओं की पुष्टि करेगी,-

क्रम सं0	लक्षण	अनुज्ञेय सीमा
1.	$C_{14}H_8CaN_2O_6S_2$ के रूप में शुद्धता, शुष्क आधार पर, द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशत, न्यूनतम	99.0
2.	मान के अनुसार प्रतिशत, अधिकतम	15.0
3.	बेंजोइक और सैलीसाइक्लिक एसिड	परीक्षण में खरा उतरने हेतु
4.	तुरत कार्बनीकरणीय पदार्थ	परीक्षण में खरा उतरने हेतु
5.	टोल्यूइन सल्फोनेमाइड, पी पी एम्, अधिकतम	25.0

2. स्वच्छता

उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4, भाग-2 में उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो और अधिनियम के अधीन समय समय पर उपलब्ध अन्य मार्गदर्शन के अनुसार तैयार और हैंडल किये जायेंगे।

3. संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषालु पदार्थ और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अनुरूप होंगे।

इस मानक में सम्मिलित उत्पाद इन विनियमों के परिशिष्ट ख में दी गई सूक्ष्म जीवाणुओं संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

4. पैकेजिंग और लेबलिंग

उत्पाद की पैकेजिंग और लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।"

पवन अग्रवाल,मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./27/16]

टिप्पणी:- मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं0 फाइल सं0 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यकों द्वारा संशोधित किये गए थे; -

(i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
(ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीफए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
(iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
(iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
(v) फा.सं. 1-83एफ/एसमीआई- पीएएन–अधि-/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
(vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
(vii) फा.सं.पी-15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
(viii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
(ix) फा.सं.पी.15025/261-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
(x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
(xi) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
(xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैण्डर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
(xiii) फा.सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य/)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
(xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
(xv) फा. सं- 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई – 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
(xvi) फा.सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
(xvii) फा.सं.1-120(1)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;
(xviii) एफ. सं. 11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2014, तारीख 5 सितंबर, 2016;
(xix) फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
(xx) फा.सं.11/12विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;
(xxi) एफ सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;
(xxii) फा. सं. मानक/एसपी(जल और पेय)/अधि (2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016;
(xxiii) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;

(xxiv) फा. सं पी./15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;

(xxv) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफ़एस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;

(xxvi) फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;

(xxvii) फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;

(xxviii) फा.सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;

(xxix) फा. सं. मानक/एसमीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;

(xxx) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना(एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून 2017।

(xxxi) फा. सं. 1/योजक/मानक14.2 अधिसूचना/ एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई,2017;

(xxxii) फा. सं. मानक/एफ़और वीपी/अधिसूचना(01)/एफएसएसएआई-2016 तारीख 2 अगस्त, 2017;

(xxxiii) फा. सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;

(xxxiv) फा.सं. मानक/एम. एंड एम. पी. आई. पी. (1)/एस.पी./ एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxv) फा. सं मानक/एसपी (पानी और पेय)/अधि. (1)/एफ़एसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxvi) फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;

(xxxvii) फा.सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एँफ़ एस एस ऐ आई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;

(xxxviii) फा.सं. ए-1(1) मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;

(xxxix) फा.सं.मानक/ओऔर एफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 12 अक्टूबर, 2017;

(xl) एफ. सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल & सी पी/अधिसूचना/एँफ़ एस एस ए आई-2016(भाग), तारीख 24 अक्टूबर, 2017;

(xli) फा.सं.ए-1/मानक/एगमार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग-1), तारीख 17 नवंबर, 2017;

(xlii) फा.सं. 1/योजक/मानक/बीआईएस अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016, तारीख 17 नवंबर, 2017;

(xliii) एफ. सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 20 फरवरी, 2018;

(xliv) फाइल सं. स्टैडर्ड/01-एस पी(फोर्टिफाइड और एंरिच्ड फूड)-रेग/ एफएसएसएआई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;

(xlv) फा.सं. 1/शिशु पोषण/मानक/अधिसूचना/भाखासंमाप्रा-2016, तारीख 13 मार्च, 2018 और

(xlvi) एफ॰ सं॰ 1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2018

F.No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016.—Whereas the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2017, were published as required under sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number File No. Stds /SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016 dated the 20th February, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be

affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st March, 2017;

And whereas objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) fifth Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulation 2.8,-

(a) in sub-regulation 2.8.4,-

(i) in paragraph 1, the words "pressed out of sugarcane or" shall be omitted;

(ii) after paragraph 1, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"2. CANE JAGGERY OR CANE GUR:

(1) Cane Jaggery or Cane Gur: Cane Jaggery or Cane Gur means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of sugarcane (*Saccharum officinarum*). It shall be free from substances unsafe to health and shall confirm to the following analytical standards on dry weight basis:-

Sl. No.	Characteristics	Permissible limit
1.	Moisture, per cent. by mass, Max	7.0
2.	Sucrose, per cent. by mass, Min	70.0
3.	Total Sugars, Min	90.0
4.	Reducing sugars, per cent. by mass, Max	20.0
5.	Sulphate ash, per cent. by mass, Max	4.0
6.	Ash insoluble in dilute hydrochloric acid, per cent. by mass, Max	0.5
7.	Extraneous matter and water insoluble matter, per cent. by mass, Max	2.0

Sodium bicarbonate, if used for clarification purpose, shall be of food grade quality.

(2) Food Additives

Additives permitted under these regulations shall be used. Added colour shall not be permitted.

(3) Hygiene

The product shall be prepared and handled in accordance with the guidelines specified in Schedule 4, Part-II of the Food Safety and Standards (Licensing and Regulation of Food Businesses) Regulations, 2011 and any other guidelines as provided from time to time under the Act.

(4) Contaminants, Toxins and Residues

The product covered in this standard shall comply with the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011.

The product covered in this standard shall confirm to the microbiological requirements specified in Appendix B of these regulations.

(5) Packaging and Labelling

The product shall comply with the packaging and labelling requirements specified in the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011";

(b) for sub-regulation 2.8.8, the following shall be substituted, namely:-

"2.8.8: Sodium Saccharin (Food Grade)-

(1) Sodium Saccharinis white crystals or white crystalline powder. It is odour less or having a faint odour. It is intensely sweet to taste, even in dilute solution. 1 g is soluble in 1.5 ml of water and in about 50 ml of alcohol. When tested in accordance with method specified in Indian Standard, IS 5345, it shall conform to the following standards:

Sl. No.	Characteristics	Permissible limit
1	Purity as $C_7H_4NNaO_3S$, after drying at 120°C for 4 h, per cent. by mass, min	99.0
2	Moisture, per cent. by mass, Max	15.0
3	Acidity and alkalinity	To pass the test
4	Benzoate and salicylate	To pass the test
5	Readily carbonizable substances	To pass the test
6	Toluene sulfonamides, ppm, Max	25.0

(2) Hygiene

The product shall be prepared and handled in accordance with the guidelines specified in Schedule 4, Part-II of the Food Safety and Standards (Licensing and Regulation of Food Businesses) Regulations, 2011 and any other guidelines as provided from time to time under the Act.

(3) Contaminants, Toxins and Residues

The product covered in this standard shall comply with the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011.

The products covered in this standard shall confirm to the microbiological requirements specified in Appendix B of these regulations.

(4) Packaging and Labelling

The product shall comply with the packaging and labelling requirements as specified in the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011."

(c) after sub-regulation 2.8.11, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"2.8.12: Calcium Saccharin (Food Grade)-

(1) Calcium Saccharin is white crystals or white crystalline powder. It shall be odourless or having a faint odour and an intensely sweet taste even in dilute solution. One gram is soluble in 1.5 ml of water.When tested in accordance with method specified in Indian Standard, IS 5345, it shall conform to the following standards:

Sl. No.	Characteristics	Permissible limit
1	Purity as $C_{14}H_8CaN_2O_6S_2$,on dry basis, per cent. by mass, Min	99.0
2	Moisture, per cent. by mass, Max	15.0
3	Benzoate and salicylate	To pass the test
4	Readily carbonizable substances	To pass the test
5	Toluene sulfonamides, ppm, Max	25.0

(2) Hygiene

The product shall be prepared and handled in accordance with the guidelines specified in Schedule 4, Part-II of the Food Safety and Standards (Licensing and Regulation of Food Businesses) Regulations, 2011 and any other guidelines as provided from time to time under the Act.

(3) Contaminants, Toxins and Residues

The product covered in this standard shall comply with the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011.

The products covered in this standard shall confirm to the microbiological requirements specified in Appendix B of these regulations.

(4) Packaging and Labelling

The product shall comply with the packaging and labelling requirements specified in the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./27/18]

Note. – The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* the notification numbers:

(I) F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
(II) F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
(III) F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
(IV) F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
(V) F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
(VI) F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
(VII) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
(VIII) F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
(IX) F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
(X) F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
(XI) F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;
(XII) F.No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
(XIII) F.No. 3-16/Specified Foods/Notiifcation(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
(XIV) F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
(XV) No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
(XVI) F.No. 1-12/Stnadards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
(XVII) F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
(XVIII) F. No. 11/09/Reg/Harmonizta/2014, dated 5th September, 2016;
(XIX) F.No. Stds/CPLQ CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
(XX) F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
(XXI) F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
(XXII) F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
(XXIII) F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
(XXIV) F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
(XXV) F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
(XXVI) F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
(XXVII) F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
(XXVIII) F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
(XXIX) F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
(XXX) F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
(XXXI) F.No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
(XXXII) F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;

(XXXIII) F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
(XXXIV) F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;
(XXXV) No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;
(XXXVI) F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September,2017;
(XXXVII) File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
(XXXVIII) F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
(XXXIX) F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;
(XL) F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated 24th October, 2017;
(XLI) F.No. A-1/Stadnards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;
(XLII) F.No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated the 17th November, 2017;
(XLIII) F.No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated the 20th February, 2018;
(XLIV) F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated the 13th March, 2018;
(XLV) F.No. 1/Infant Nutrition/Stds/Notification/FSSAI/2016, dated the 13th March, 2018 and
(XLVI) F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.17 19:00:54 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SIZE: 202.5X540MM



